अंक–127

रविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व मंडल में राजस्थान मिशन 2030 विषयक राजस्व मंडल स्तरीय कार्यशाला में माननीय अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह, निबंधक श्री महावीर प्रसाद एवं उपस्थित संभागीगण।

संरक्षक
श्री राजेश्वर सिंह
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

परामर्शदाता
श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य
श्री भँवर सिंह सांदू, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
श्री राकेश कुमार शर्मा, सदस्य
श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

वरिष्ठ संपादक
श्री महावीर प्रसाद
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सम्पादक
(प्रभारी अधिकारी, रविरा)
पवन कुमार शर्मा
सहायक निदेशक (जनसंपर्क)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सहयोग
गफूर अली
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुद्रक
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर

राजस्व मण्डल राजस्थान की त्रैमासिकी

अंक-127 रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से
2. सम्पादकीय

लेख-सामग्री एवं विधिक जानकारी

3. डिजिटल विधायिका : नए भारत की ओर कदम 5-15
4. राजस्थान काश्तकारी कानून में प्रयुक्त शब्दों का आशय 16-22
5. राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आधारभूत तत्व एवं विधिक अपेक्षाएं 23-28

स्थायी स्तम्भ

6. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय 29-50
7. राजस्थान में नवीन संभाग एवं उनमें सम्मिलित जिले 51-160
8. राजस्व समाचार 161-163

सूचना : रविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
रविरा में प्रकाशन हेतु आलेख, सफलता की कहानियां आदि सामग्री ई-मेल आईडी proboraj@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

अध्यक्ष की कलम से.....

राजस्थान राज्य कृषक वर्ग को हर स्तर से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में कई कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से कृषकों को संबल मिला है। इन सबके मध्य राज्य के विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों में भारी संख्या में लंबित राजस्व वादों का त्वरित निस्तारण गंभीर चुनौती है। राजस्व वादों के प्रभावी निस्तारण को लेकर राजस्व मंडल के स्तर से कई अभिनव प्रयास किए गए हैं। इन उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संकल्पबद्ध होकर नियमितता एवं गंभीरता से कार्य करने की महती आवश्यकता है। राज्य में संभाग व जिले से लेकर तहसील व उप तहसील स्तर तक राजस्व इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में राजस्व वादों का निस्तारण और अधिक सजगता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही से किया जाना होगा। लोक कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में राजस्व अधिकारियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रशासनिक एवं लोक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हर संवर्ग के अधिकारी एवं कार्मिकों को पूर्ण निष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं नियमबद्धता का परिचय देने की आवश्यकता है।

राज्य में कृषक वर्ग के कल्याणार्थ भूमि विक्रय, हकत्याग व उपहार के दस्तावेजों के पंजीयन के साथ ही स्वत: नामांतकरण दर्ज कर जमाबन्दी आदिनांक किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। सीमाज्ञान एवं नामान्तरकरण के आवेदन निस्तारण तथा मानिटरिंग की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। नामान्तरकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस करने का मॉड्यूल तैयार किया जा चुका है। राजस्व मण्डल सहित अधीनस्थ न्यायालयों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में ई-फाइलिंग, ई-सम्मन और वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की प्रक्रिया भी शीघ्र ही मूर्त रूप ले लेगी।

राजस्व मण्डल एवं सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व अदालतों की ओर से प्रकरणों की पूर्व तैयारी एवं सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं सुनवाई के पश्चात पूर्ण विधिक आधार एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने की महती आवश्यकता है।

नवीन राजस्व इकाइयों में वृद्धि के साथ ही राजस्व अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें चाहिये कि वे अपने बेहतरीन अनुभव, कार्यकुशलता, प्रशासनिक दक्षता और बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए लोक महत्व के कार्यों एवं प्रशासनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करें।

राजस्व मण्डल की ओर से राजस्व प्रशासन के कार्यसंपादन में अधिक गुणवत्ता लाने के लिये समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। अपेक्षा की जाती है कि अधिकारियों द्वारा इनका भली भांति अध्ययन कर इन्हें व्यावहारिक तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में लागू किया जायेगा। आगामी समय में अपने मूलभूत दायित्वों के साथ-साथ निर्वाचन संबंधी कार्यों को भी भली-भांति पूरा किया जाना है। इस दिशा में श्रेष्ठ कार्य निर्वहन हेतु कृपया मेरी अग्रिम शुभकामनाएं स्वीकार करें।

राजेश्वर सिंह
अध्यक्ष

संपादकीय.....

राजस्थान में संभाग से लेकर तहसील स्तर तक हुए परिवर्तन एवं राजस्व क्षेत्र की नवीनतम जानकारी व उपलब्धियों के साथ राविरा का 127 वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

राजस्थान में नवीन राजस्व इकाइयों के गठन के बाद अब राज्य में 10 संभाग एवं 50 जिले हो गये हैं। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से आमजन, विशेष रूप से कृषक समुदाय को राजस्व न्यायालय व प्रशासनिक सेवाओं की सुगमता के साथ-साथ विकास के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।

इस अंक में सभी नवीन संभाग, जिलों, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड एवं तहसीलों के गठन की अधिसूचनाओं के साथ ही राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्र मंडल की उपलब्धियां महत्वपूर्ण निर्णय तथा उपयोगी आलेखों को समाहित कर राजस्व विषयक जानकारी को संदर्भ के रूप में आप तक पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। राजस्व मंडल के स्तर पर विविध स्तरीय दायित्व व सेवाओं को पारदर्शिता से सुलभ कराने को लेकर सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्व मंडल ने ई-फाइलिंग से राज्य में पेपरलेस वर्किंग के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। निश्चय ही इन प्रयासों से राजस्व न्यायालयी दायित्वों के क्रियान्वयन की दिशा में आशानुरूप परिणाम सामने आएंगे।

राज्य में 414 तहसीलों के डेटा डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। 24 तहसीलों में डेटा सेग्रीग्रेशन का कार्य प्रगति पर है। राजस्व सेवाओं का समग्र लाभ पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को व्यावहारिक तौर पर सभी राजस्व अधिकारी कार्मिकों को समझ लेना चाहिए। ऑनलाइन सेवाओं का तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

सरकार के स्तर से कृषक एवं राजस्व न्यायालय के पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई, ई-सम्मन और ई-फाइलिंग व ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है ये सुविधाएं शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जायेगी। निश्चय ही इससे न्याय आपके द्वार की परिकल्पना साकार हो सकेगी।

लोक कल्याण के क्षेत्र में आपके माध्यम से किये गए नवाचारों एवं उपलब्धियों को सफलता की कहानी आलेख अथवा संस्मरणों को राविरा पत्रिका के माध्यम से व्यापक स्तर तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि यह अन्य के लिए प्रेरणा बन सके।

महावीर प्रसाद

निबंधक

कविता

'आत्मबल'

–राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

हर मुश्किल का हल निकलेगा,
आज नहीं तो कल निकलेगा,
कितनी भी हो कठिन समस्या,
पर पुरुषार्थ प्रबल निकलेगा।

जीवन एक अन्धी सुरंग है,
अन्धेरा ही रूपरंग है,
कल क्या होगा, पता नहीं है,
पूर्ण अनिश्चित सा प्रसंग है।

पर परिश्रमी हार न माने,
मन में जो कुछ भी है ठाने,
उसके लिए प्राण प्रण से वह
सुलझाता है ताने-बाने।

हार-जीत दोनों विकल्प है,
विपुल कार्य और समय अल्प है,
मन में प्रबल अधैर्य अकारण,
इन्तजार का क्षण भी कल्प है।

फिर भी सारी शक्ति लगा कर,
मन को चिन्तन से विलगाकर,
कार्ययोजना निर्धारित कर,
करता प्रबल प्रयास शक्ति भर।

पथ में बाधा विघ्न भयंकर,
सबल मानसिकता न निरन्तर,
किन्तु विजय अवश्य संभावी,
दृढ़ संकल्प भरा अभ्यंतर।

ऐसा नहीं निराश न होता,
व्याकुल, दुःखी, हताश न होता,
पुनः मनोबल जागृत करता,
औरों को आभास न होता।

जो कहता भयभीत नहीं है,
वह असत्य भाषण करता है,
भय का भाव जीतकर ही तो
विजयी विजय प्राप्त करता है।।

डिजिटल विधायिका : नए भारत की ओर कदम

ममता कुमारी तिवाड़ी, आर.ए.एस.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा, राजस्थान

सार

जहाँ सुशासन है केवल वहीं लोक कल्याण सम्भव है। सुशासन हेतु नवीनतम तकनीक का उपयोग आवश्यक है। ई विधायिका ई–शासन का एक भाग है। यह ऑनलाइन विधान मण्डल है जो मिनिमम गवर्नेमेंट तथा मैक्सिमम् गवर्नेन्स पर बल देता है। आने वाला समाज सूचना समाज होगा जिसमें सूचना–तकनीक का मुक्त प्रयोग होगा। हाईटेक–विधायिका हेतु नवीनतम उपकरण एवं तकनीक की ज्ञान मीमांसीय समझ आवश्यक है। विधायिका में सूचना तकनीक का अधिकाधिक उपयोग जनप्रतिनिधियों को उत्तम विधान हेतु समर्पित अनुशासित एवं लोकहित के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखने में सहायक होगा। इसमें राष्ट्रीय ई–विधान अभिप्रेरक के रूप में समग्र भूमिका का निर्वहन करेगा।

परिचय

भविष्य में वही व्यवस्था टिकाऊ होगी जो पर्यावरण हितैषी होगी। एक देश, एक विधान के बाद अब राष्ट्रीय ई–विधान एप्लिकेशन (नेवा) देशभर की विधानसभाओं को एक राष्ट्र, एक अनुप्रयोग से जोड़ रहा है। इसके तहत अब विधानसभाओं के डिजिटलीकरण का नया दौर शुरू हो गया है, जिससे न केवल संसद और विधान सभाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल मिलेगी बल्कि सदन के भीतर का 'लुक' और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कामकाज का अंदाज भी बदल जाएगा। यह मानना होगा कि इस प्रयोग से जनभागीदारी भी बढ़ेगी। वैसे सदन की कार्यवाही, तारांकित व अतारांकित सवाल और उनके जवाब, समिति की रिपोर्ट वगैरह को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का काम तो कई विधानसभाओं में काफी पहले हो चुका है। संसद में तो इसकी शुरुआत हुए एक दशक से ज्यादा का समय बीत गया। अब विधानसभाओं की कार्यवाही का भी यू–ट्यूब और फेसबुक जैसे माध्यमों से सीधा प्रसारण होने लगा

है। राजस्थान सहित कई राज्यों की विधानसभाओं ने इस प्रक्रिया को अपना रखा है। इसके बावजूद 'नेवा के जरिए अब सभी विधायिकाएं एक प्लेटफॉर्म पर आ गईं हैं। सबकुछ ठीक रहा तो जल्दी ही विधानसभाओं व संसद के दोनों सदनों में भी सांसदों–विधायकों के सामने कागज–पेन की जगह लैपटॉप होगा। उन्हें सदन के भीतर ही संदर्भ सामग्री भी मिल सकेगी। 18 राज्यों की विधानसभाओं ने डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। उत्तरप्रदेश भी हाल ही इसमें जुड़ा। हालांकि राजस्थान में इस साल बजट सत्र में विधायकों को आइफोन तो दिए, लेकिन डिजिटलीकरण में राज्य विधानसभा अभी पीछे है।

डिजिटलीकरण बढ़ने से कागज की बचत होगी ही, इससे पर्यावरण की रक्षा होगी। परन्तु इससे भी अधिक सांसद–विधायकों के कामकाज और सोच का अंदाज बदल जाएगा। राष्ट्रीय ई–विधान एप्लिकेशन (नेवा) प्लेटफॉर्म से देशभर के सदनों की कार्यवाही, तारांकित व अतारांकित सवाल व उनके जवाब, समिति की रिपोर्ट वगैरह भी एक जगह उपलब्ध हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा की समूची कार्यप्रणाली कागज रहित हो गई है। नगालैंड पहला राज्य है, जहां मार्च में नेवा लागू हो गया है।

समकालीन प्रयास

शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को कम्प्यूटर या अन्य यांत्रिक संचार माध्यम से इन्टरनेट के द्वारा आम जनता तक पहुँचाना ई–शासन है। यह किसी भी संगठन, समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है। यह ई–नागरिक (Electronic Citizen) व्यवस्था का व्यापक प्रसार है। ई–नागरिक सम्प्रत्य के विकास ने सरकार के प्रथम अंग विधायिका को भी डिजीटल या ऑनलाइन स्वरूप अपनाने हेतु प्रतिबद्ध किया है। ई–विध ायिका (Electronic Legislature) से अभिप्राय है कि विधान मण्डलों द्वारा लोक हित में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ई–विधायिका ऑनलाइन विधायिका होती है जिसमें सदन के समस्त सत्र की कार्यविधि पेपररहित होती है। इसमें टच स्क्रीन कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन्न विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। ई–विधान हेतु डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन (DSC) व्यवस्था होती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सदन की नियमित प्रक्रियाएँ प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर एवं विभिन्न विधाई समितियों

की बैठकों के निर्णय तुरन्त व लगातार ऑनलाइन रूप से आम जनता को उपलब्ध करवाए जाएं। इसमें विधानसभा क्षेत्र प्रबन्धन व्यवस्था (Constituency Management Sysytem) का निर्माण किया जाता है, जिनमें सम्बन्धित विधायक एमएलए लेड (MLA LAD) के तहत् करवाए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता सूची अपलोड करता है, विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन, स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र (डिजायर), प्रस्तावित दौरे, सदन में पूछे जाने वाले सवाल, मिटिंग, सम्पत्ति की सूचना आदि को प्रत्येक विधायक विधानसभा क्षेत्र प्रबन्धन व्यवस्था पर आम जनता की सूचनार्थ ऑनलाइन अपलोड करते है। विधानमण्डल आम जनता की सबसे प्रमुख प्रतिनिधि संस्था है अतः विधायिका में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र (E-Democracy) के प्रसार हेतु ऊर्वर पृष्ठ भूमि तैयार करता है। ई–विधायिका की आंतरिक कार्यकुशलता पारंपरिक विधायिका की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि इसमें संचार के साधन तीव्रतर व बेहतर होते हैं। सक्षम संग्रहण, आंकड़ों की पुनः प्राप्ति व प्रसंस्करण में नवीनतम तकनीक का उपयोग होता है। विधानमण्डलों में जन प्रतिनिधियों द्वारा नियमित विधायी कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले शब्द–संसाधन का कुशलतापूर्वक संग्रहण सम्भव होता है। ई–विधान सदन में समय का बेहतर प्रबन्धन करता है। ई–विधायिका (E-Governance) ई–शासन का ही एक भाग है। भारत में जहाँ संसदीय स्तर पर इस संबंध में सन्तोषजनक कार्य हुआ है वहीं अभी अधिकतर राज्यों के विधानमण्डलों में सूचना–प्रौद्योगिकी को पर्याप्त मात्रा में उपयोग में लाना बाकी है। अतः इस संबंध में संसदीय नेतृत्व की महती आवश्यकता है। भारत सरकार के ई–शासन हेतु अपनाए गए 12 सूत्री न्यूनतम कार्य सूची में भी इस हेतु बल दिया गया है।

संभावना एवं आवश्यकता

ई–विधायिका सदन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास व प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे जनप्रतिनिधि एवं विधान मण्डलों के कार्मिक वर्ग के मध्य पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। सदन की विभिन्न समितियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है, तथा जनता के विभिन्न वर्गों से विभिन्न विधेयकों व मुद्दों पर शीघ्रता व सरलता से राय जानी जा सकती है, सूचना तकनीक विधाई समितियों के सदस्यों तथा विधानसभा सचिवालय के कार्मिकों की जागरूकता में

वृद्धि करती है, इससे उनकी नवक्षमता का सृजन होता है तथा शोध का विकास होकर ज्ञान का आदान–प्रदान संभव हो पाता है। सदन के सदस्यों को अनेक पत्रादि विधानसभा सचिव द्वारा नियमित रूपसे प्रेषित किए जाते हैं, उन सभी पत्रों को पुख्ता सुरक्षा के साथ ई–मेल से भेजा जा सकता है। इस संबंध में भारत के सभी विधानमण्डलों में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा अपना डोमेन उपलब्ध करवाया गया है। विधायिका के सदस्य व जिम्मेदार अधिकारियों को NIC द्वारा ई–मेल सुविधा दी गई है। NIC पर भेजे जाने वाले मेल तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रहते हैं तथा उनका दुरूपयोग होने की संभावना न्यूनतम होती है।

ई–विधायिका की संकल्पना से आसन द्वारा सदन के सदस्यों को पर्यवेक्षित (Observation) करने में सुविधा प्राप्त हुई है। सदन में लगे कैमरे व टी.वी. से सदन में नियम तोड़ने वाले सदस्यों पर सरलता से निगरानी रखी जा सकती है। यथा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया के सामान्य नियम संख्या 2695 के अनुसार जब सत्र चल रहा हो व विधानसभा अध्यक्ष आसन पर मौजूद हो तो कोई भी सदस्य सदन के उपयोग में आने वाले साहित्य के अतिरिक्त अन्य कोई समाचार पत्र या पत्रिका नहीं पढ़ सकता, साथी सदस्य के सदन को संबोधित करने पर व्यवधान नहीं डाल सकता, सदन में निद्रा नहीं ले सकता आदि सामान्य अनुशासन सम्बंधी नियमों को पालन करवाने में मदद प्राप्त हो सकती है। सूचना–प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से आमजनता की विधायी कार्यों में भागीदारी बढ़ती है जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिलता है। दूरदर्शन पर लोकसभा एवं राज्य सभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण ने आम जनता को विधायी प्रक्रियाओं से परिचित करवाया तथा जनमानस में विधायी गतिविधियों के संबंध में नवीनतम सूचनाओं से अद्यतन किया है। इन्टरनेट पर विधायिका के उपलब्ध होने से आम नागरिकों को आनलाइन ही विधान मण्डलों से सम्पर्क करने का अवसर प्राप्त होता है। जनता आसानी से विधान मण्डलों की नियमित कार्यवाई तथा अन्य प्रतिवेदनों की जानकारी प्राप्त कर सकती है। बढ़ती प्रौद्योगिकी अधि–संरचना के इस दौर में विभिन्न राज्यों के विधान मण्डलों में अन्तर परम्पर समन्वय आसान हो जाता है। विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्तरराज्य विधान मण्डल वार्तालाप सरल एवं त्वरित हो सकता है। यह अनेक राज्यों के विधान मण्डलों में आरम्भ हो गया है। आने वाले समय में विधानसभा

की विभिन्न समितियाँ सम्बन्धित अधिकारियों एवं वर्गों से विडियो कान्फ्रेन्सिंग से जुड़ सकती है। राजस्थान सरकार ने विडियो कान्फ्रेन्सिंग को कार्यालय की दैनिक कार्यप्रणाली में शामिल कर लिया है। ई–प्रशासन न केवल उत्पादकता–संभावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि अनियमितता व अनुशासनहीनता के मूल कारणों को भी दूर करने में मदद करता है।

समस्याएं

पारम्परिक विधायिका कोई–विधायिका का स्वरूप देना असम्भव तो नहीं लेकिन जटिल अवश्य है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इच्छा, क्षमता व संसाधन की माँग करता है। हमारे कई जनप्रतिनिधि व कार्मिक आज भी नवीनतम डिजिटल प्रणालियों के विभिन्न उपकरणों से मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप वे ई–विधायिका के सक्रिय सदस्य के रूप में अक्सर असफल रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रोनिक विधायिका की समग्रता प्राप्त नहीं हो पाती है। देश में इन्टरनेट की धीमी गति, शहरों में कई लोगों के साथ अधिसंख्य ग्रामीण जनता की अभी तक इन्टरनेट तक पहुँच नहीं बन पाई है। ऐसी स्थिति में ई–विधानतंत्र से समुचित लाभ सम्भव नहीं है। अक्सर देखा गया है कि इन्टरनेट सुविधा रखने वाले विधायक भी प्रायः फोन द्वारा या अन्य पारम्परिक तरीकों से विधान मण्डलों के विभिन्न अनुभागों से सम्पर्क करना चाहते हैं। स्वयं कार्मिक वर्ग भी परस्पर वैयक्तिक सम्पर्क से काम चलाते हैं। अतः डिजीटल डिवाइड बहुत बड़ी समस्या है। ई–विधायिका के प्रभावशाली क्रियान्वयन में प्रबन्धन के मुद्दे भी है, जिनमें सूचना तकनीक में दक्ष एवं पेशेवर विशेषज्ञों की कमी, स्थानिक ई–प्रशासन, इन्टरनेट, प्रशासन, वित्तीय पक्ष, सूचना की स्वतंत्रता व गोपनीयता की समस्याएं, सुरक्षा संबंधित खतरे व साइबर अपराध आदि प्रमुख है। सामान्यतः विधायिका की वेबसाइट पर तथा इनके निजीइन्ट्रानेट पर महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय महत्त्व की संवेदनशील जानकारियॉ संग्रहीत होती है जो अक्सर साइबर अपराधियों के निशाने पर रहती है।

प्रयास एवं सफलता

भारतीय संसद द्वारा विधायी कार्यों में सूचना–तकनीक का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया गया है। लोकसभा एवं राज्य सभा के सचिवालयों द्वारा अपने अलग–अलग इन्ट्रानेट का विकास किया गया है। इनमें सूचना–प्रौद्योगिकी अनुभाग (हार्डवेयर एवं

सॉफ्टवेयर) का गठन किया गया है, जो अपने–अपने सदन में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक के उत्तरोत्तर प्रसार हेतु प्रयासरत है। भारत के सभी विधान मण्डल सूचना तकनीक में दक्षता हेतु संसद से नेतृत्वकारी भूमिका चाहते हैं। राज्यों के विधानमण्डल अपने स्तर पर तथा भारत सरकार के सूचना–प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना में ई–विधायिका के लक्ष्य प्राप्ति में जुटे हुए हैं। इस संबंध में संसद के दोनों सचिवालयों (राज्यसभा व लोकसभा) से भी इन्हें पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त होता है। विधायिका कानून निर्माण करती है, विचार–विमर्श करती है और साथ ही प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। इन सभी मूलभूत कार्यों में सूचना–प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा अधिक कुशलता व प्रभावशीलता लाई जा सकती है। भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–शासन योजना का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी, समयबद्ध व सहज तरीके से नागरिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु समाज के अंतिम तबके तक सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का लाभ पहुँचाना है। इसी योजना के तहत् भारत में विधायिकाओं में सूचना तकनीक के नवीनतम उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विधायिकाओं में ई–शासन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) को दी गई है। यहां इस संदर्भ में ज्ञातव्य है, कि राजस्थान विधानसभा द्वारा ई–विधायिका हेतु सक्रियतापूर्वक प्रयास किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा विधायिका में पूछे जाने वाले तारांकित, अतारांकित व अल्प सूचना प्रश्नों हेतु ऑनलाइन उत्तर सूचना व्यवस्था (Online Answering Information System & OASYS) का विकास किया गया है। इस प्रणाली हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में राजस्थान विधानसभा को राष्ट्रीय ई–शासन सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस व्यवस्था हेतु विधानसभा की वेबसाइट (rlaquest.raj.nic.in) पर OASYS का लिंक दिया गया है। इसमें प्रश्नों के उत्तर देवनागरी यूनिकोड फोन्ट में दिए जाने होते हैं। यदि सवाल किसी अन्य विभाग का हो तो उसे विधानसभा की प्रश्न–शाखा को ऑनलाइन प्रार्थना (Online Request) भेजकर परिवर्तित करवाया जा सकता है। इस व्यवस्था में प्रशासकीय विभाग ऑनलाइन ही प्रश्नों को प्राप्त कर उनका जवाब अपलोड कर सकते हैं। इससे राजस्थान में विधानसभा सवालों के विलम्बन (पैंडेंसी) में कमी आई है, साथ ही विधायी कार्यों में पारदर्शिता व लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण बढ़ा है। राजस्थान में ई–विधायिका के

विकास हेतु विधानसभा के सभी जन प्रतिनिधियों को लैपटॉप व इन्टरनेट की सुविधा दी गई है। राज्य में इसके तहत् प्रत्येक विधायक को 60,000 रुपये की सीमा तक लैपटॉप मय प्रिन्टर उपलब्ध करवाए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से राजस्थान में विधानसभा के सवालों के विभागों द्वारा जवाब देने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, इसे डिपार्टमेन्टल रिप्लाई ऑफ असेम्बलिक्यूश्चन मैनेजमेंट सिस्टम (DREAMS) नाम दिया गया है। यह सूचना व्यवस्था (MIS) देश की कई अन्य विधानसभाओं में भी कार्यरत है। यह G2G (गवर्नमेन्ट टू गवर्नमेन्ट) व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य विधायी स्वचालन (Automation) बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश की शिमला स्थित विधानसभा को (हिमाचल में दूसरी विधानसभा तपोवन (धर्मशाला) में है) देश की प्रथम हाईटेक विधानसभा का दर्जा मिला है। हिमाचल–प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को केरल, कर्नाटक, नागालैण्ड सहित देश की 14 विधानसभाओं से ई–विधान प्रणाली लागू करने में सहायता करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है।

संसदीय नेतृत्व

देश में विधान की सर्वोच्च संस्था संसद है। ई–विधायिका का मुख्य उद्देश्य देश की समस्त विधान सभाओं का डिजिट्लाइजेशन करना है। देश में ई–विधायिका के सन्तुलित एवं एक समान परिदृश्य निर्माण हेतु संसदीय पहल अनिवार्य है। चूंकि संसद की विधायिकाओं में केन्द्रीय स्थिति है तथा संसद के पास इस हेतु संसाधन व ज्ञान की भी प्रचुरता है। संसद इस हेतु विभिन्न विधायिकाओं को न केवल जागरूक करने में सक्षम है वरन् वह अन्तर परस्पर समन्वय भी सक्षमतापूर्वक कर सकती है। इलेक्ट्रोनिक संचार के अधिकतर संसाधन केन्द्र सरकार के अधीन है अतः संसद ही इस संबंध में पहल कर सकती है। संसद ने देश की विभिन्न विधायिकाओं को सूचना–तकनीक से सज्जित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) को अधिकृत किया गया है। भारतीय संसद (लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय) एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा देशभर में ई–विधायिका हेतु अग्रलिखित प्रयास किए जा रहे हैं।

1. विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सचिवालय को एक्रोबेट प्रोफेशनल सोफ्टवेयर के नवीनतम वर्जन हेतु सचिवालय सहायता का प्रबन्ध करना।
2. विधानसभाओं के लिए सूचना–प्रौद्योगिकी योजना हेतु मार्गदर्शन करना।

3. जिन विधानसभाओं में अभी तक लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) का निर्माण नहीं हुआ है, वहां LAN बनाना तथा सदन के सदस्यों एवं कार्मिकों हेतु ई–मेल अकाउन्ट बनाना।
4. सदस्यों एवं सचिवालय कार्मिकों को इलेक्ट्रोनिक रूप से विधायी सूचनाएँ देना।
5. विधान सभाओं हेतु इन्ट्रानेट साइट का विकास करना तथा विधानसभाओं की वेबसाइट को अंग्रेजी, हिन्दी (या स्थानीय भाषा) दोनों संस्करण में तैयार करना व नियमित रूप से अद्यतन करना जिससे आम जनता को नियमित रूप से विधायी जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। ज्ञातव्य है, कई–शासन के प्रसार में सर्वाधिक योगदान प्रभावशाली वेबसाइट का होता है।
6. विधानसभा लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) में आवश्यकतानुसार नियमित रूप से सुधार (Upgrade) करना एवं सचिवालय हेतु वाई–फाई (Wi-Fi) व आई.पी. फोन आधारभूत संरचना का विकास करना। यह लगभग सभी विधायिकाओं में किया जा चुका है।
7. विधानसभा के विभिन्न शाखाओं के पुराने प्रतिवेदनों व कागजों का डिजिटलाइजेशन करना।
8. भारतीय संसद (लोकसभा) के ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एण्ड ट्रेनिंग (BPST) द्वारा ई–विधायिका के प्रचार–प्रसारार्थ विधान मण्डलों के सदस्यों (MLAs) व अधिकारियों हेतु ओरिएंटेशन व रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना चाहिए। तथा इस सम्बन्ध में बहुभाषाओं में सरल एवं समुचित साहित्य का निर्माण कर वितरण करना चाहिए। इससे ई–विधान में आने वाली ज्ञानमीमांसीय अड़चनें दूर होगी व सकारात्मक माहौल बनेगा।
9. विभिन्न विधान मण्डलों, संसद एवं विदेशी प्रतिनिधियों के आगमन से सम्बन्धित एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के विधायी सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त प्रतिनिधिक यात्रा से सम्बन्धित एक कम्प्यूटर एप्लिकेशन तैयार करना चाहिए जिससे विधिक यात्राओं की सम्पूर्ण सूचनाएं प्रबन्धित की जा सके।
10. एक ऐसा इलेक्ट्रोनिक एप्लिकेशन विकसित किया जाए जो सदन के सदस्यों की विभिन्न विधायी समितियों में उनकी उपस्थिति की सूचनाएं स्वतः संग्रहित कर

सके।

11. विधानमण्डलों की समितियों के विभिन्न प्रतिवेदनों हेतु अंग्रेजी व हिन्दी (स्थानीय भाषा) में सर्च पेज का विकास किया जाए।
12. विधानसभा में आमजन के प्रवेश हेतु पास बनवाने की व्यवस्था को ऑनलाइन करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इसे ऑनलाइन कर दिया गया है।
13. सूचना का अधिकार प्रबन्धन व्यवस्था (RTI Management System) को सुदृढ़ एवं अद्यतन बनाना चाहिए। आर.टी.आई. (RTI) के आवेदन अपील व पुनर्अपील को पी.डी.एफ. (PDF) प्रारूप में अपलोड करना चाहिए।
14. संसद से प्रेरणा लेते हुए राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों की तरह विधान मण्डलों के सदस्यों की विभिन्न जानकारियाँ यथा–प्रश्न, सदस्य उपस्थिति, विशेष उल्लेखित सी.ए.जी. (CAG) विवरण, सदस्य विवरण, आर.एस.एस. फीड्स (RSS Feeds) आदि जानकारियाँ वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।
15. आईपैड एप्लिकेशन हेतु आर.एस.एस. फीड्स (RSS Feeds) के अंग्रेजी व हिन्दी (स्थानीय भाषा) संस्करण तैयार करने चाहिए।
16. विधानमण्डलों द्वारा अपनी–अपनी वेबसाइटों के लिए STQC प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए। साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों को नियमित रूप से सुलझाना चाहिए एवं इन मुद्दों का नियमित रूप से अंकेक्षण (Audit) होना चाहिए।
17. विधानमण्डल के सिनोपसिस इण्डेक्स प्रिपेरेशन व्यवस्था, प्रकाशन व्यवस्था, पिक्चर गैलेरी, क्यूश्चन प्रोसेसिंग बैलेट, वेबकोम, RMIS, DMIS आदि में सॉफ्टवेयर व आवश्यकतानुसार सुधार करते रहना चाहिए।

निष्कर्ष

नेवा प्रणाली में एक वेब साइट और एक मोबाइल एप का इस्तेमाल होता है। नवम्बर 2021 में प्रधानमंत्री ने 'एक राष्ट्र, एक विधायी प्लेटफॉर्म' का सुझाव देते हुए कहा था कि 'एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल' से न केवल संसदीय प्रणाली तकनीकी रूप से उन्नत होगी, बल्कि सभी लोकतांत्रिक इकाइयां भी आपस में जुड़ जाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उम्मीद जताई है कि सभी विधायिकाओं की कार्यवाही–संसद

के दोनों सदन और राज्य विधान सभाओं व विधान परिषदों की कार्यवाही वर्ष 2023 तक एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगी। नेवा की वेबसाइट पर कहा गया है कि 'कई हजार टन कागज की बचत होगी, जिससे सालाना लाखों पेड़ कटने से बचाए जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने 2014 में नेवा पायलट प्रोजेक्ट लागू किया था। सरकार की वेबसाइट बताती है कि डिजिटलीकरण से राज्य में सालाना 6000 पेड़ों को कटने से बचाया और खर्च भी करीब 15 करोड़ रुपए कम हुआ। नेवा भविष्य के भारत की तस्वीर है। विश्वभर में अधिकतर देश ई–शासन को अपना रहे हैं, क्योंकि पारम्परिक शासन अपने आप में पिछले कुछ दशकों में अधिक जटिल, बोझिल और विविधीकृत हो गया है, तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, कि सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में कई गुणा वृद्धि हुई है। ई–शासन से सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी आती है, निर्णय जल्दी और विवेकपूर्ण लिये जा सकते हैं। विदित है कि वर्ष 2021 में दुबई 100 प्रतिशत पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई। इससे व्यय में 35 करोड़ डॉलर की कमी आएगी और 14 मिलियन मानव–घंटे की बचत भी होगी। अमेरिकी सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी सरकारी एजेंसियों में कागज का उपयोग बंद करने की घोषणा की है। ऐसे में भारत को भी डिजिटल विधायिका की ओर तेजी से क़दम बढ़ाने होंगे।

संदर्भ सूची

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2008, ग्याहरवॉ प्रतिवेदन, ई–गंवर्नेन्स को प्रोत्साहनः भविष्य की स्मार्ट राह, भारत सरकार, नई दिल्ली।

वही।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (www.nic.in)

प्रक्रिया के सामान्य नियम, नियम सं.–269 (पाठ–15), राजस्थान विधानसभा जयपुर।

समकालीन भारतीय मद्दे (समस्या एवं समाधान), 2014–15, सिविल सर्विसेज टाइम्स प्रकाशन, नई दिल्ली। पृष्ठ–135

वही, पृष्ठ–136

वही, पृष्ठ– 137

राष्ट्रीय ई–शासन योजना (2006), भारत सरकार।

www.rlaquest.raj.nic.in (राजस्थान विधानसभा, जयपुर)

विधान बोधनी (अक्टूबर–2014), बुलेटिन संख्या 80, दिनांक 9–सितम्बर, 2014, राजस्थान विधानसभा, पृष्ठ–74

www.rlaquest.raj.nic.in (राजस्थान विधानसभा, जयपुर)

www.rajyasabha.nic.in (भारतीय संसद, नई दिल्ली)

www.bpst.nic.in (लोक सभा सचिवालय, नईदिल्ली)

www.rajyasabha.nic.in (भारतीय संसद, नई दिल्ली)

⌘ ⌘ ⌘

राजस्थान काश्तकारी कानून में प्रयुक्त शब्दों का आशय

श्री शंकरलाल बलाई
तहसीलदार, RRTI, अजमेर

राजस्थान राज्य में मेवाड़ भी एक रियासत था, जिसमें काश्तकारों के लिए कानून बनाया गया था, जिसका नाम था कानून माल मेवाड़, 1947 इस कानून में प्रयुक्त कानूनी शब्दों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रयुक्त शब्दों का आशय समझना आवश्यक होता है, जब तक किसी शब्द का अर्थ एवं जिस भावना से कानून में जोड़ा गया है, उस भावना को समझना आवश्यक है, तब जाकर किसी काश्तकार को कानूनी सहायता। न्याय मिल सकेगा।

हम पहले कानून माल मेवाड़ 1947 के शब्दों का आशय समझेंगे, जो इस प्रकार है–

(1) माली अफसर = राजस्व अधिकारी

(2) माली इन्तज़ाम = राजस्व प्रबन्ध

(3) मन्सूख = निरस्त करना

(4) खालसा गाँव = जो ग्राम जागीरदार, माफीदार व भोमिया का न हो। वह खालसा गांव कहलाता है।

(5) मातहती अफसर = अधीनस्थ अधिकारी

(6) मिलकियत = भूमि की कीमत

(7) **खड़मदार** (38) = खड़मदार या बापीदार काश्तकार उसे कहते हैं जिसका नाम गांव के खसरे या जमाबन्दी या जमीन के पट्टे में उसकी जमीन के मुतअल्लिक खड़मदार या माफीदार की हैसियत से दर्ज किया गया हो।

इनको निम्न अधिकार थे–

(8) **मुस्तकिल शिकमी** (का. मा. में. 40) :–मुस्तकिल शिकमी काश्तकार उसे कहते हैं कि उसका कब्जा किसी जमीन पर 12 वर्ष से अधिक मुतवातिर सरकार ठिकाना, जागीरदार, माफीदार या भोमिया से दिया हुआ है बशर्ते की नीचे लिखी जमीन पर किसी काश्तकार को मुस्तकिल शिकमी का हक नहीं पैदा होगा।

(i) हवाले या बाग की जमीन

(ii) किले की जमीन

(iii) उदयपुर शहर की सीमाएँ

(iv) पेटा तालाब, नाड़ी नदी

(v) जिसमें शिकमी को मुस्तकिल अधिकार देने पर रोक है।

इनको निम्न अधिकार थे–

(a) विरासत

(b) रहन, बक्शीश व वसीयत

(c) लगान जमा कराने तक बेदखल नहीं।

(9) **शिकमी काश्तकार** – शिकमी काश्तकार उसे कहते हैं, जिसको जमीन भारत के लिए आराजी तौर पर सौंपी गई हो शिकमी काश्तकार के हक जिन सूरतों पर जमीन उसे सौंपी गई हो शिकमी काश्तकार के हक उसके मुताबिक होंगे–

(i) शिकमी काश्तकार को कभी भी नोटिस देकर बेदखल किया जा सकता है।

(ii) शिकमी काश्तकार को विरासत या नामान्तकरण के अधिकार नहीं थे।

(10) **शिकमी काश्तकार**–वह काश्तकार जो कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करता है।

(11) **तरक्की जमीन** – भूमि सुधार।

(12) **हक काश्तकारी** – काश्तकारों के अधिकार।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- राजस्थान में लागू हुआ 15.10.1955 (विक्रम संवत-2012) (अधिनियम संख्या 3)
- राष्ट्रपति की अनुमति 14.03.1955.
- राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.10.1955 को जारी की गई।
- धारा-5 के अनुसार परिभाषाएँ

(1) 5(1) कृषि वर्ष–1 जुलाई से 30 जून तक।

(2) 5(2) कृषि–

(iii) कठोर अर्थ में – भूमि को जोतना और उससे अन्न व चारा उत्पन्न करने तक सीमित है।

(iii) विस्तृत अर्थ में – कृषि की उपरोक्त क्रिया के साथ अन्य कृषि संबंधी क्रियायें

सम्मिलित की गई है, यथा पशु-प्रजनन फूल उत्पादन आदि इनके अतिरिक्त निम्न भी कृषि में सम्मिलित है–

(i) उद्यान कृषि, वानिकी और चारागाह के लिए भूमि का प्रयोग।

(ii) पान की उपज।

(iii) चाय व काफी उगाना।

(iv) वृक्षों को उगाना।

(v) नील की खेती।

(vi) हरी सब्जियाँ उगाना।

(vii) दुग्ध-पशुओं को चराना।

(6) 5 (41) उप-अभिधारी– चार लक्षण होते हैं–

(1) जैसे शिकमी व जैली (नाम या स्तर महत्त्वपूर्ण) नहीं होता है।

(2) वह किसी (1) मालिक या (ii) भू-स्वामी या (ii) अभिधारी से भूमि लेता है। इस प्रकार भूमि या भूमि का अधिकार उसका स्वयं का नहीं है, भूमि किसी दूसरे की है और वह केवल खेती करता है।

(3) जिसमें प्रत्यक्ष या निहित संविदा है कि ''लगान संदेय है या दिया जायेगा।

(4) उप-अभिधारी का लगान देना या देने के लिए दायी होना उप अभिधारी का मुख्य लक्षण है।

(7) 5 (26क) भूमिहीन व्यक्ति–भूमिहीन व्यक्ति में यह तीन लक्षण होना आवश्यक है।

(i) वह व्यवसाय से एक कृषक होगा।

(ii) वह व्यक्तिगत रूप से खेती करता हो या खेती करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आशहित हो।

(iii) उसके पास स्वयं की या संयुक्त खाते में से भूमि का एक खण्ड या टुकड़ा हो, 4 हेक्टर तक।

(8) 5 (25) व्यक्ति रूप से जोती गयी भूमि–इसमें तीन लक्षण होते हैं–

(A) स्वयं के श्रम द्वारा या

(B) स्वयं के कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा,

(C) भाड़े के श्रमिकों या नौकरों द्वारा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की व्यक्तिगत निगरानी में खेती करवाई जायेगी।

पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन एवं निर्देश में मूलभूत अन्तर

पुनरीक्षण (निगरानी) (Revision)	पुनर्विलोकन (नजरसानी) (Review)	निर्देश (रेफरेन्स) (Reference)
1. यह RT Act की धारा-230, LR act की धारा-84 एवं CPC नियम-115 आदेश 43/रूल-1 के तहत होती है।	1. यह RT Act की धारा-229, LR act की धारा-86 एवं CPC order के तहत होती है।	1. यह RT Act की धारा-232, LR Act की धारा-82 व CPC order-46 के तहत होता है।
2. जहाँ विधि द्वारा किसी डिक्री या आदेश की अपील करने का प्रावधान हो तो पुनरीक्षण सुनने योग्य नहीं है।	2. यदि डिक्री या आदेश की अपील करने का प्रावधान है, लेकिन अपील नहीं की गई तो पुनर्विलोकन (Review) हो सकेगा।	2. मण्डल के संज्ञान में यह आता है कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किसी मामले के विनिश्चय या उसके समक्ष लम्बित बाद में या कार्रवाई में पारित आदेश या डिक्री की वैधता व औचित्यता के बारे में कोई त्रुटि हुई है तो मण्डल समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री या आदेश की गई कार्रवाई में फेरफार किया जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए उस मामले में कलक्टर अपनी राय सहित मण्डल के आदेशों के लिए निर्देशित करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे उचित समझे।
3. यदि किसी ने अपील का रास्ता न अपनाकर किसी आदेश की निगरानी पेश कर दी हो तो सुनने योग्य नहीं है। निगरानी के लिए 3 महत्त्वपूर्ण बिन्दु आवश्यक है। 1) किसी ऐसे न्यायालय ने विधि के विरुद्ध अधिकारिता का प्रयोग किया है, या 2) निहित अधिकारिता का प्रयोग अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से या कोई सारभूत अनियमितता का कार्य किया है, तो मण्डल ऐसे मामले में उचित आदेश पारित कर सकेगा। 3) ऐसे न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से या कोई सारभूत अनियमितता का कार्य किया है, तो मण्डल ऐसे मामले में उचित आदेश पारित कर सकेगा।	3. किसी डिक्री या आदेश की अपील का प्रावधान नहीं है तो रिव्यू होगी परन्तु रिव्यू के लिए निम्न बिन्दु आवश्यक होंगे- # डिक्री पारित करने से पूर्व सम्यक् सत्परता का प्रयोग के पश्चात ऐसी नई और महत्त्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलने से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, क्योंकि व्यतीत व्यक्ति के ज्ञान में डिक्री से पूर्व नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका या किसी भूल या गलती के कारण अभिलेख को देखने से रह गया हो तो रिव्यू होगा।	

	4. व्यतीत पक्षकार रिव्यू के जरिए कोई अनुतोष चाहता है तो वह उसी न्यायालय के आदेश या डिक्री की अपील नहीं कर सकेगा। और	
	5. रिव्यू स्वीकार होने पर व्यतीत व्यक्ति जो रिव्यू के आदेश से पीड़ित (असन्तुष्ट) है, तो उसे रिव्यू के आदेश की अपील करने का अधिकार है, परन्तु रिव्यू का आवेदन पेश करने वाले पक्षकार का आवेदन स्वीकार होने पर उसको अपील का अधिकार नहीं होगा उसके द्वारा पुनरीक्षण अनुज्ञेय होगा।	

देवता की माफी भूमि– देवमूर्ति एक सनातन-अवयस्क है। उसकी भूमि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जोती जाने पर भी व्यक्तिगत रूप से जोती गई भूमि मानी जायेगी। निम्न निर्णयों में उल्लेख किया–

1. दुर्गालाल बनाम मंदिर श्री शनिश्वर जी महाराज, 1984 RRD 1
2. छीतर सिंह बनाम श्री नाथद्वारा मंदिर बोर्ड, 1996 RRD 213

5 (27) **अधिमुक्त भूमि**–से ऐसी भूमि अभिप्रेत है–

1. जो तत्समय किसी अभिधारी को पट्‌टे पर दी गई हो और
2. उसके अभियोग में है, इसमें खुदकाश्त भी सम्मिलित है।

5 (27) **अनाधिमुक्त भूमि**– से ऐसी भूमि अभिप्रेत है–

1. जो किसी के कब्जे (अधिभोग) में नहीं है।
2. जो भूमि कृषि भूमि है।

परन्तु किसी अतिचारी का कब्जा उस भूमि को अधिमुक्त भूमि नहीं बना देता, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे भूमि पट्टे पर दी गई है या वह कोई अभिकारी है। ऐसी भूमि अधिमुक्त भूमि है और ऐसी भूमि पर बिना किसी प्राधिकार से कृषि करने वाले अतिचारी को अभिधारी दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है और वह भूमि अनाधिमुक्त ही बनी रहती है, जिसका आवंटन किया जा सकता है।

• गोपाल बनाम सुखा, 1995 RRD 234, 1995 (2) RBJ 592.

• मांगीलाल बनाम चौथ 1973 RRD 566, 1982 RRD 584 तथा 1985 RRD 33.

• रहीम खां बनाम नूर मोहम्मद 1987 RRD 419, 1987 RRD 422, 1887 RRY 54, 1987 RRD 54 (LB).

इसके विपरीत मत लिया गया–

अतिचारी को बेदखल किए बिना उस भूमि को किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल अनाधिमुक्त भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है।

1982 RRD 238, 1982 RRD 441, 1982 RRD 497, 1983 RRD 338.

जिस व्यक्ति के पास वैध-अधिकार (Title) है, उसे अतिचारी नहीं माना जा सकता।

नगर सुधार न्यास अलवर बनाम प्रभुदयाल, RRD 602.

5 (24) **भूमि–** भूमि की परिभाषा को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है–

(1) ऐसी भूमि निहित है–

(क) कृषि प्रयोजनों या

(ख) उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए या

(ग) बाग-भूमि के रूप में या

(घ) चारागाह के लिए पट्टे पर दी जाती है या धारित की जाती है और

(2) इसमें निम्न भी सम्मिलित है–

(ङ) किसी जोत पर अवस्थित मकानों या बाड़ों के नीचे की भूमि, या

(च) जल से ढकी हुई भूमि जो–(i) सिंचाई करने या (ii) सिंघाड़ा या अन्य कोई ऐसी ही पैदावार के लिए उपयोग में लगाई जा सके।

(3) किन्तु इसमें निम्न सम्मिलित नहीं है–

(छ) आबादी भूमि

(4) इसमें फिर निम्न सम्मिलित हैं–

(1) भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ तथा

(2) भू-बद्ध वस्तुएं या

(3) किसी भी भू-बद्ध वस्तु से स्थायी रूप से आबद्ध वस्तुएँ।

(5) (28) चारागाह– इसमें निम्न 3 प्रकार की भूमियाँ आती हैं–

(1) जो गाँव या गाँवों के पशुओं को चराने के उपयोग में ली जाती है।

(2) जो इस अधिनियम के आरंभ के समय चारागाह के रूप में बन्दोबस्त अभिलेखों में अभिलिखित है या,

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार बाद में इस रूप में आरक्षित है।

5 (17) जोत – निम्न है–

(A) जो–(i) एक पट्टे, (ii) वचनबंध या (iii) अनुदान के अधीन है या

(B) जो ऐसे पट्टे, वचनबंध या अनुदान के अभाव में (न होने पर) ऐसी भूधृति के अधीन धारित हो,

(C) इसमें इजारेदार की दशा में, इजारे या ठेके का क्षेत्र सम्मिलित होगा।

लगान से सम्बन्धित परिभाषाएँ–

लगान, राजस्व एवं सायर में अन्तर

लगान (32)	राजस्व (34)	सायर (37)
यह वह राशि है, जो अभिधारी अपने भू-धारक को रोकड़ी भागत: या रोकड़ी पूर्ण संदत्त करता है।	यह राशि रोकड़ी में सीधे सरकार को जमा कराई जाती है, जो एक ''वार्षिक माँग'' है।	यह वह राशि है जो एक पट्टेदार अनुज्ञप्तिधारी अपने भू-धारक को देता है।
यह भूमि के (1) उपयोग (ii) आधिपत्य या (iii) भूमि पर किसी अधिकार के लिए संदेय होता है।	यह (1) भूमि या (ii) उसमें के किसी हित या (iii) भूमि के उपयोग के लिए संदेय होता है।	इस खण्ड में वर्णित प्राकृतिक उपज को संग्रहीत करने के अधिकार के लिए संदेय होता है।
इसमें सायर सम्मिलित है।	इसमें समनुदेशित भू-राजस्व सम्मिलित है, पर सायर नहीं।	इसे लगान में सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु राजस्व में नहीं।

⌘ ⌘ ⌘

राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आधारभूत तत्व एवं विधिक अपेक्षाएं

अशोक कुमार खिचड़
वरिष्ठ सहायक, भू–अभिलेख शाखा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है एवं राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन आधारित क्रियाकलापों से ही जीविका उपार्जन कर रहे हैं। मरुस्थल क्षेत्र में ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना व अन्य नहरों के अनवरत प्रवाह एवं कृषकों के भरसक प्रयासों से मरुस्थल की भूमि को भी खेती योग्य बना दिया है। बंजर वीरान जमीन खेती योग्य होने, बढ़ती जनसंख्या से जमीनों के छोटे–छोटे टुकड़े होने से एवं अस्पष्ट राजस्व अभिलेखों ने राजस्व विवादों को जन्म दिया। खेतों के बंटवारे, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, गैर कानूनी बेचान एवं रास्तों के मामलों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व इसी क्रम में राजस्व भू राजस्व अधिनियम,1956 लागू कर मुख्यतः त्रिस्तरीय राजस्व न्यायालयों की व्यवस्था की है, जो इस प्रकार है–

1. खातेदारी घोषणा, बंटवारा, रास्ता, बेचान आदि। 2. राजकीय भूमि पर अतिक्रमण आदि।

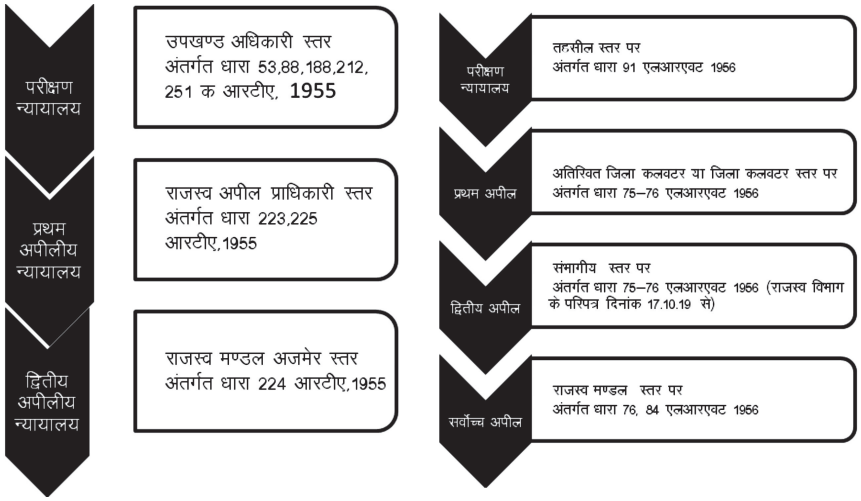

राजस्व अदालतों के उपर्युक्त सोपान के पश्चात् उक्त न्यायालयों द्वारा पारित

निर्णयों में परीक्षण न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के मूल तत्व सीपीसी के नियमों के अनुसार –

- वाद/अपील संख्या, संबंधित धारा व अधिनियम एवं पीठासीन अधिकारी का नाम।
- निर्णय में पक्षकारों के नाम मय सम्पूर्ण विवरण।
- विवादित आराजी/खेताय का वर्णन।
- विवाद का प्रकार (वाद हेतुक)।
- वाद के संबंध में कायम तनकीयात एवं तनकियों को साबित करने की जिम्मेवारी।
- बयानों व गवाहों का विवरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का पृष्ठांकन।
- उभयपक्षों की बहस का सार एवं उनके द्वारा प्रस्तुत **न्यायिक दृष्टांतों** का विवेचन।
- निर्णय का मूल तत्व यह भी है कि सुनाया गया आदेश स्पीकिंग प्रकृति का हो एवं उसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। राजस्व के निर्णय व्याख्या एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं जिससे आदेश की सुगम व सरलतम व्याख्या आवश्यक होती है।
- राजस्व निर्णयों को जहां तक संभव हो खुले न्यायालय में सुनाया जाना चाहिए जिससे पीठासीन अधिकारी की पारदर्शी, ईमानदारी व स्वच्छ छवि बनी रहती है। राजस्व निर्णयों में निर्णय दिनांक आवश्कता से अंकित की जानी चाहिए।

उपर्युक्त बिन्दुओं का समावेश किया जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा उपयुक्त निर्णय लेखन किया जा सकता है। परीक्षण न्यायालयों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाएं एवं गवाहान के बयानात निर्धारित प्रपत्र में लिये जाकर पत्रावली में शामिल करवाया जाना चाहिए एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गुणावगुण आधार पर विवेचन पर स्पीकिंग एवं रीजण्ड निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित रहता है। परीक्षण न्यायालय स्तर से की गई कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय तक निर्णय दिए जाने का आधार बनी रहती है। इसलिए परीक्षण न्यायालयों की जिम्मेदारी अपीलीय न्यायालयों से कहीं ज्यादा प्रतीत होती है।

परीक्षण न्यायालयों में साक्ष्य व बहस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत निर्णय लिखते समय दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार न्यायालय प्रत्येक विवाद्यक पर अपना विनिश्चय कारण सहित

अंकित करें, जब तक कि विवाद्यकों में से एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो।(साभार राविरा)

परीक्षण न्यायालयों (ट्रायल कोर्ट्स) को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे अपीलीय न्यायालयों द्वारा प्रकरण अनावश्यक रूप से प्रतिप्रेषित नहीं हो–

- ✓ बंटवारे के मामलों में तहसीलदार की उपस्थिति में राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुरेजात रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की जावे एवं तत्पश्चात् उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देकर बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए। अपीलीय न्यायालयों में अगर बंटवारे के प्रकरण पर अपील की जानी हो तो प्राथमिक व अंतिम डिक्री की अलग अलग अपील प्रस्तुत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी जानी चाहिए।
- ✓ धारा 251 क आरटी एक्ट के प्रचलन में आने के बाद से राजस्व अदालतों में रास्ते एवं पाईप लाइन निकालने के विवाद आए दिन आते रहते हैं, रास्ते के प्रकरणों में माननीय मण्डल द्वारा स्पष्ट रूप से दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं कि भू अभिलेख निरीक्षक स्तर से निम्न कर्मचारी द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट अमान्य है। साथ ही रास्ते के प्रकरणों में निर्णय करते हुए तीन बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए यथा **अत्यांतिक आवश्यकता, न्यूनतम दूरी व वैकल्पिक मार्ग** । मौका रिपोर्ट तैयार करने वाले कर्मचारी/अधिकारी द्वारा भी उक्त बिन्दुओं को संलग्न नजरी नक्शे में स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए एवं *मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की मौजूदगी में ही तैयार कर पक्षकारों एवं मौतबिरानों के हस्ताक्षर करवाने चाहिए।*
- ✓ कई बार परीक्षण एवं अपीलीय न्यायालयों में तामील समुचित नहीं करवाई जाती है एवं किसी पक्ष विशेष को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तामील की प्रक्रिया का खुला उल्लंघन कर उन्हें बिना आदेशिका पर आदेश करवाए ही आबाद मकान पर चस्पानगी या तामील कुनिन्दा द्वारा जाली टिप्पणी (लेने से इंकार) दर्ज करवाकर तामील से इतिश्री कर देते हैं। कई बार प्रकरण एकपक्षीय निर्णीत कर दिए जाते हैं एवं संबंधित पक्षकारों के संज्ञान में आए बिना ही प्रकरण

निस्तारित हो जाता है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

✓ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित व अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जावे।

अपीलीय न्यायालयों से अपेक्षाएं–

परीक्षण न्यायालयों से पारित निर्णयों की क्रमशः प्रथम व द्वितीय न्यायालयों में अपीलें प्रस्तुत की जाती है। अपीलीय न्यायालयों में केवियट प्रार्थना पत्र (धारा 148 क सीपीसी) लगाने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है जो कि न्यायिक सक्रियता का द्योतक है, केवियट प्रार्थना पत्र एक तरह से टीकाकरण (वैक्सीनेशन) जैसा होता है जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर आदेश पारित किए जाने से पूर्व प्रत्यर्थी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

अपीलीय न्यायालयों को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु (section 5 of limitation Act,1963) का निस्तारण किया जाना चाहिए जिससे पक्षकारों में न्यायालय संबंधी मामलों में समय परायणता बनी रहे एवं गंभीर पक्षकारों को उचित समय पर न्याय मिल सके।

कई बार अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना अंतर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जाता है।

अपीलीय न्यायालयों में उक्त प्रार्थना पत्रों को सुरक्षित रखते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पर अस्थाई व्यादेश (टीआई) पारित कर दिए जाते हैं। अपीलीय न्यायालयों में प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता देते हुए निस्तारित किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे न्यायालयों में अनावश्यक अपीलों का भार नहीं बढ़ेगा एवं न्यायालय की क्षमता भी अनावश्यक रूप से क्षीण नहीं होगी।

अपीलीय न्यायालयों द्वारा परीक्षण न्यायालयों में पारित निर्णयों का गहनता से अवलोकन किया जाना चाहिए एवं यथा संभव अधीनस्थ न्यायालयों से मूल अभिलेख तलब कर ही अपना अभिमत स्पष्ट करना चाहिए। सामान्यतः अपीलीय न्यायालयों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं Audi alteram partem (listen to the other side) के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का बिन्दुवार खण्डन करते हुए निर्णय पारित किया

जाना चाहिए। अपीलीय न्यायालयों में कार्मिकों की कमी एवं राजस्व अधिकारियों के अस्थाई कार्यकाल से निर्णय लेखन में गुणवत्ता का अभाव रहता है एवं न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन कर उनकी विषय वस्तु पर चस्पानगी नहीं की जाती है। अपीलीय न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि इनके द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ही किए जाने चाहिए। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि **''न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि हुआ सा प्रतीत भी होना चाहिए।''**

प्रशिक्षण न्यायालयों में अगर एकपक्षीय अस्थाई स्थगन जारी कर आदेश 39 नियम 3 क की पालना हेतु पत्रावली में आगामी दिनांक दी गई हो तो अपीलीय न्यायालय उक्त प्रकरणों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे एवं अगर इस तरह की अपीलें प्रस्तुत भी हुई है तो माननीय मण्डल की वृहद पीठ में पारित **9867/2012 जगदीशप्रसाद बनाम भोपालराम** के तहत उक्त अपीलों को पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज फरमावे।

राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में यह विधिक अपेक्षा भी की जाती है, कि वह समाज के कमजोर तबकों यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, नाबालिग व महिलाओं एवं मंदिर मूर्ति (शाश्वत शिशु) के संदर्भ में कानूनों की मूल भावना का पालना करते हुए निर्णय पारित करे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं की भी बराबर हिस्सेदारी मानी गई है। राजस्व न्यायालयों में पारित निर्णय सम्पूर्ण पीढ़ी को प्रभावित करने वाले होते हैं इसलिए उक्त न्यायालयों से विधिक अपेक्षाएं अधिक रहती है। फौजदारी के मुकदमे व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं परंतु राजस्व के मामलों में प्रभावित व्यक्ति का रोजी रोटी का जरिया जुडा रहता है इसलिए कानूनों को लागू करते हुए पीठासीन अधिकारी को यह भी देखना चाहिए कि उक्त कानून को लागू करने के पीछे मूल भावना क्या थी? चूंकि राजस्व न्यायालयों में पारित हुए निर्णयों के आधार पर ही विवादित आराजी तय होती है उसी अनुसार ही अमल दरामद किया जाता है इसलिए पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक से पारित किए गए निर्णयों की भूमिका बढ़ जाती है।

राजस्व न्यायालयों में उपर्युक्त आधारभूत तत्वों का समावेश किया जाकर निर्णयों को स्पष्ट व सरल बनाया जा सकता है, जिससे कम पढ़े लिखे काश्तकार एवं हाशिए

पर खड़े लोग भी आसानी से समझ सके। राजस्व न्यायालयों में पारित निर्णयों में मूल तत्व समय के साथ हो रहे विधिक बदलाव व जागरूक जनता के अनुसार जैविक प्रकृति के हैं। राजस्व न्यायालयों में अधिकारियों को दृढ इच्छाशक्ति एवं मनोयोग से अद्यतन विधिक प्रावधानों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित किया जाकर आमजन को विधि की पेचीदगियों से राहत दिलाई जा सकती है। राजस्व न्यायालयों के निर्णयों में विधि स्पष्टता ही निर्णयों का परम सार है, जिससे इन्हें सुपाठ्य एवं सौम्य बनाया जा सकता है।

''जय हिन्द''

⌘ ⌘ ⌘

पत्रिका विवरण

1. नाम	–	**रावि‍रा त्रैमासिक अंक-127**
2. आकार	–	**रावि‍रा 6.2 × 9.2**
3. मुद्रित प्रतियाँ	–	**7500**
4. प्रयुक्त कागज	–	**(क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम** **(ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम** **(ग) साधारण कागज (मेपलिथो)** **80 से 90 जी.एस.एम**
5. प्रकाशक	–	**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**
6. मुद्रक	–	**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर**
7. कवर पेज	–	**4 पृष्ठ**
8. रंगीन पृष्ठ	–	**8 पृष्ठ**
9. साधारण पृष्ठ	–	**156 पृष्ठ**

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

अपील डिकी/टी0ए0/436/2008/बीकानेर

1. हुक्माराम **.....अपीलार्थीगण**

बनाम

2. चरण सिंह व अन्य **.....प्रत्यर्थीगण**

खण्डपीठ

श्री आर.डी. मीणा, सदस्य

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः

श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक अपीलांट

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय

दिनांक : 19.04.2023

यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर दिनांक 08.01.2008 प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष विवाादित आराजी बाबत् एक वाद बाबत इश्तकारहक एवं हुक्म इम्तनाई का पेश करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी उसके द्वारा जिम्मेशाह से खरीद की गई और खरीद के पश्चात वह लगातार विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पो./प्रतिवादी विवादित आराजी में दखलअंदाजी कर रहे है इसलिये उन्हे पाबंद किया जाना आवश्यक है। परीक्षण न्यायालय ने पूर्व में वादी का वाद अपने निर्णय दिनांक 25.01.1999 द्वारा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट/वादी ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.03.2000 से अपील को आंशिक स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रकरण पुनः परीक्षण न्यायालय में दर्ज होने के पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2000 से वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध रेस्पो./प्रतिवादी ने राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.01.2008 से अपील को स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2000 निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने मौजूदा विपक्षीगण को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये विधिवत रूप से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अपीलांट्स को परीक्षण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी थी एवं उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने में लापरवाही की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना गया है कि इस प्रकरण में निष्पादित विक्रय पत्र को अवैध एवं प्रभावहीन घोषित करने का एवं वाद को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उक्त तथ्यों को यह कहते हुये व्यक्त किया गया कि विचारण न्यायालय में विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। इस कारण वह बेचाननामें के विषय में कोई तथ्य व्यक्त नहीं कर सकें जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि विपक्षीगण को परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत तामिल करायी गयी है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में गलत विधिक दृष्टांतों को आधार बनाते हुये यह मान लिया कि निष्पादित बेचाननामे को खारिज करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उक्त बेचाननामे को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती

दी जानी चाहिये। अगर अपीलीय न्यायालय का यही मत था तो उनके द्वारा प्रकरण को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देने के लिये प्रकरण को पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर देना चाहिये था जो इस प्रकरण में नहीं किया गया। इस कारण भी अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपील को स्वीकार करते हुये अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने रजि. विक्रय पत्र को खारिज करते हुये डिक्री पारित की। परीक्षण न्यायालय ने रेस्पो. को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित करते हुये विधि विरुद्ध तरीके से वादी का वाद डिक्री कर दिया जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि पंजीकृत विक्रय पत्र की जांच का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है। फिर भी परीक्षण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय को रजि. विक्रय पत्र को प्रमाणित दस्तावेज बनाने से पूर्व डीड–राईटर को तलब करना चाहिये था तथा उप पंजीयक के यहां दर्ज दस्तावेज की तस्दीक करनी चाहिये थी। परंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों की बिना जांच किये ही काल्पनिक गवाहों के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2021 आर.आर.टी. (1) पेज 500, 2018 आर.आर.टी. पेज 718 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत् रखते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम द्वितीय पैरा में अंकित किया है कि–

''अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को राजस्व न्यायालय में सुनवाई का

क्षेत्राधिकार मानते हुये निष्पादित विक्रय विलेख को वायड़ दस्तावेज माना है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई थी तथा वह उपस्थित नहीं थे इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया कि वे कथित बैयनामें के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अधीनस्थ न्यायालय को बैयनामें को वायड़ दस्तावेज मानने से पूर्व डीड–राईटर को तलब करना चाहिये था तथा उप पंजीयक लूणकरणसर के यहां से दर्ज दस्तावेज की तस्दीक करवानी चाहिये थी। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच कर काल्पनिक गवाहों के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। आर0आर0डी0 1994 पेज 329 में मा0 राजस्व मंडल ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

Rajasthan tenancy Act section 207 read section 9 of the whether the power of attorney was misused by holder to sell of the land and whether the sale deed entered into by him was fraudulently obtained and is , therefore to be cancelled shown of all details, these two issues will go into the final decision of the suit Both these issue would be decided only by the competent Civil court.code of civil procedure- The men points in issue in the are two ,

मा. राजस्व मंडल के उक्त दृष्टांत का ससम्मान विवेचन करते हुये रेस्पो. नं. 1 द्वारा निष्पादित बयनामें को खारिज करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके लिये रेस्पो0 सं. 1/वादी को सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2000 से हम सहमत नहीं है।''

इस प्रकार प्रकरण के पूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मूल ही प्रकरण परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित होने के पश्चात् प्रकरण सुनवाई हेतु दर्ज किया गया। प्रतिवादी/रेस्पो. को आगामी तारीख पेशी की सूचना तामिल करवाये जाना आवश्यक था परंतु परीक्षण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। रेस्पो./प्रतिवादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही परीक्षण न्यायालय ने एकपक्षीय में आदेश पारित कर दिया जिसे भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी/रेस्पो. की अनुपस्थिति के आधार पर ही परीक्षण न्यायालाय ने वादी का वाद

सिद्ध होना मान लिया गया जो पूर्णतया विधि विरुद्ध होकर न्यायसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त किया जाकर उसी के आधार पर ही वादी का वाद सिद्ध होना मान लिया गया जो पूर्णतः विधि विरुद्ध है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी इसी विधिक स्थिति की पुष्टि करते हैं। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.01.2008 द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2000 को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है और अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2008 विधिसंगत होने से यथावत् रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2399/2022/जोधपुर

1. श्रीमती गुलाब देवी .....**अपीलार्थिया**

बनाम

2. श्रीमती रामभजनी व अन्य .....**प्रत्यर्थीगण**

खण्डपीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः

श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स

श्री अचला सिंह पंवार, अभिभाषक रेस्पो.

श्री संजय सोनी, अधिवक्ता रेस्पो.

निर्णय

दिनांक : 16.02.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर दिनांक 30.12.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, पीपाड़ शहर के समक्ष बाबत् विवादित आराजी ख.नं. 606 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा किस्त बारानी सोयम के संबंध में पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश किया गया। तदुपरांत परीक्षण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 8 तनकीयात कायम करते हुये उभयपक्षों की सुनवाई के आधार पर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2021 से रेस्पो./वादीगण का वाद खारिज कर दिया। परीक्षण

न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो. संख्या 1 से 3 द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.12.2021 से प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करते हुये अपने निर्णय में यह कहते हुये कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 606 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा पुश्तैनी होने से वादीगण/रेस्पो. को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है एवं परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मंडल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण न्यायालय को प्रेषित करें। परीक्षण न्यायालय विधिवत रूप से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री जारी करें, कहते हुये अपीलांट की अपील को स्वीकार परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2021 अपास्त कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 6 के पति सुगनाराम ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.08.1998 को खरीद किया था। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी सुगनाराम जी की स्वार्जित आराजी है और सुगनाराम जी की स्वार्जित आराजी हुई और स्वार्जित संपत्ति होने से अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी रेस्पो0 संख्या 6 के हक में दिनांक 22.06.2012 को एक बख्शीशनामे से बख्शीश कर उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार हस्तांतरित कर दिये। विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्रियों अपीलार्थिया एवं रेस्पो. संख्या 7 को भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से विवादित आराजी पर अपीलार्थिया एवं रेस्पो0 संख्या 6 एवं 7 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उनका कथन है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 5/वादीगण का किसी प्रकार का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही विवादित आराजी पुश्तैनी है। वादीगण को यह वाद लाने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त तथ्यों को सही मानते हुये विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया था। परंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये

परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विपरीत एवं साक्ष्य के विपरीत फाइंडिंग देते हुये निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि स्व0 सुगनाराम ने विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा अपनी स्वार्जित आय से खरीद किया था। वादीगण के पिता एवं पति भंवरलाल आज से करीब 40 वर्ष पूर्व से ही सूरसागर, जोधपुर में निवास करते आ रहे है। ग्राम बोरून्दा में सुगनाराम अपनी पत्नी व पुत्रियों के साथ निवास करते थे तथा भंवरलाल के जोधपुर चले जाने के बाद से ही सुगनाराम ने विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा अपनी स्वार्जित आय से खरीद किया था। जिसे अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी को बख्शीश कर दिया और सुगनाराम जी की पत्नी भगवती देवी ने अपनी दोनों पुत्रियों गुलाब देवी एवं संतोष देवी को उक्त आराजी के संपूर्ण हक अधिकार जरिये बख्शीशनामा हस्तांतरित कर दिया एवं भौतिक रूप से कब्जा भी सुपुर्द कर दिया। उक्त स्थिति में रेस्पो0/वादीगण का 1/8 हिस्सा नहीं बनता है। उक्त तथ्यों को परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में सही माना है तथा विवेचित किया कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी ना होकर, स्वार्जित संपत्ति है जिस पर वादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं बनता है परंतु अपीलीय न्यायालय पने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 पिछले 40 वर्षों से सूरसागर, जोधपुर में निवास कर रहे हैं। विवादित आराजी में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है ना ही राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार या सहखातेदार के रूप में दर्ज है ना ही मौक पर भौतिक रूप से काबिज काश्त है। उनका कथन है कि वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी ना होकर स्व0 सुगनाराम की स्वार्जित संपत्ति है जो पंजीकृत विक्रय पत्र विलेख से खरीद की गई है तथा वाद में यह तथ्य कहीं पर भी प्रकट नहीं हुआ कि भूमि ख0नं0 570 की भूमि को बेचकर खरीद की गई है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने वादपत्र के तथ्यों के बाहर जाकर नयो तथ्यों का प्रकटीकरण अपीलीय न्यायालय के समक्ष किया है जो विधि विरुद्ध था। परंतु फिर भी अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण द्वारा पारित विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2022 आर0आर0टी0 पेज 1047, 2016 डी0एन0जे0(एस0सी0) पेज 258, 2088 आर0एल0डब्ल्यु0(एस0सी0) पेज 1115 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपीलीय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय को विधि विरुद्ध बताते हुये प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने यह कहते हुये निर्णय पारित किया है कि समस्त तनकीयात का परीक्षण करने पर पाया कि अधिकतर तनकीयात को रेस्पो0 अपने पक्ष में सिद्ध करने में असमर्थ रहें। अधिकतर तनकियां अपीलांट के पक्ष में निर्णित की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा मात्र इतना लिखने से निर्णय विधिसम्मत नहीं हो जाता, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकीवार फाइंडिंग देते हुये परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि सुगनाराम ने वर्ष 1998 में किसी प्रकार की कोई बख्शीश नहीं की है और ना ही कोई बख्शीश रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने गलत रूप से 1998 के बख्शीशनामे का हवाला दिया एवं ना ही 2012 का कोई बख्शीशनामा रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। जब 2012 में कोई बख्शीशनामा निष्पादित ही नहीं किया तो उक्त आधार पर दावा खारिज किया जाना विधि विरूद्ध है। जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने यह साबित नहीं किया कि उनके पक्ष में बख्शीशनामा निष्पादित किया गया है। जब रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट के पक्ष में बख्शीशनामे निष्पादित किये गये हैं। अतः बख्शीशनामे संबंधित दस्तावेज को प्रदर्श कर साबित करवाना पड़ता है परंतु अपीलांट ने बख्शीशनामे संबंधित दस्तावेज को साक्ष्य से प्रदर्श नहीं करवाया। इससे साबित होता है परीक्षण न्यायालय ने दस्तोवज संबंधित फाइंडिंग देते हुये जो निर्णय डिक्री पारित की है वह विधि विरुद्ध थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह हवाला दिया कि रजिस्ट्रियों का मनन किया गया जबकि रजिस्ट्री दिनांक 03.08.1998 को सुगनाराम के पक्ष में निष्पादित की गई है। सुगनाराम ने अपनी पुश्तैनी जमीन उगराराम के पक्ष में बेचान की है। जिसके ख0नं0 570 है जो रेस्पो0 की पुश्तैनी जमीन रही है। ख0नं0 570 बेचान कर उनके रुपयों से ही ख0नं0 606 की जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करवाई गई है। जब उपरोक्त भूमि पुश्तैनी भूमि बेचान कर संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई है तो

परीक्षण न्यायालय ने गलत फाइंडिंग देकर यह कहा कि उपरोक्त भूमि पुश्तैनी जायदाद नहीं रही है जबकि वह सुगनाराम की स्व अर्जित संपत्ति है। उक्त दस्तावेजात मिसल बंदोबस्त से यह साबित होता है कि ख0नं0 570 पुश्तैनी जायदाद रूपाराम जी की रही है। उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह रिकॉर्ड का पूर्ण अवलोकन कर पारित नहीं की जो अपास्त करने योग्य थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मिसल बंदोबस्त से यह स्पष्ट साबित होता है कि जो संपत्ति सुगनाराम ने खरीद की है वह संपत्ति रूपाराम की संपत्ति बेचान कर खरीद की है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुश्तैनी संपत्ति बेचान कर सुगनाराम ने उक्त संपत्ति खरीद की है। दोनों बेचाननामो में यह हवाला दिया गया है कि ख0नं0 606 जो खरीद की वह ख0नं0 570 को बेचान कर खरीद की है, जो पुश्तैनी भूमि थी। परीक्षण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी रिकॉर्ड पर नहीं लेकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरुद्ध है जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2019 (एच0सी0) एस0एस0सी0 पेज 193, 2018 एस0सी0सी0 पेज 646, निर्णय प्रति UTTRADIMUTT vs RAGHAVENDRA SWAMY MUTT date 26.09.2018 प्रस्तुत करते हुये अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय को विधिसंगत बताते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 30.12.2021 के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

''वादीगण/अपीलांट्स के दादा की स्वअर्जित संपत्ति नहीं होकर पुश्तैनी खसरा नंबर 570 के बेचान से प्राप्त प्रतिफल राशि में से खरीद की गई होने से वादीगण का वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 606 रकबा 8.8 बीघा के 1/2 हिस्से में सजरा खानदान अनुसार 1/8 हिस्सा पाया जाता है। वादीगण के दादा स्व0 सुगनाराम को पुश्तैनी भूमि

में अपने हक–हिस्से से अधिक भूमि को अपनी पत्नी के पक्ष में बख्शीश करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है और इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से की संपूर्ण वादग्रस्त भूमि को अपनी बेटियों को बख्शीश करने का अधिकार नहीं है। वादीगण के हक–हिस्से तक उक्त बख्शीशनामे विधि अनुसार स्वतः निष्प्रभावी एवं शून्य है। इन पस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि अनुसार एवं रिकॉर्ड के समर्थन में पारित नहीं किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 फरवरी 2021 को अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 606 रकबा 8.8 बीघा पुश्तैनी होने से वादीगण को वादग्रस्त भूमि में से 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार पीपाड़ शहर को निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मंडल)नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश है कि वह विधिवत रूप से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनकर अंतिम डिक्री जारी करें।''

8. इस प्रकार इस अपील प्रकरण और इसमें संलग्न सभी दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय में उभयपक्षों के मध्य धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वाद विचाराधीन था। उक्त वाद में कुल आठ तनकीयात कायम की गई थी। उक्त तनकीयात के निर्णय में तनकी संख्या 1 व 3 महत्वपूर्ण तनकियां थी। इसके अंतर्गत यह निर्धारण किया जाना अपेक्षित था कि वादग्रस्त भूमियां पक्षकारों की पुश्तैनी भूमियां थी या क्रयशुदा भूमियां थी। इस संबंध में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड , जमाबंदी एवं रजिस्टर्ड क्रय पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियां वादीगण के दादा की स्व–अर्जित संपत्ति नहीं होकर पुश्तैनी भूमियां थी जो विरासत से प्राप्त हुई थी। यह भी सही है कि ख0नं0 570 के बेचान से प्राप्त प्रतिफल की राशि से ही अन्य वादग्रस्त भूमि ख0नं0 606 को क्रय किया गया था। इस प्रकार से सुगनाराम की पुश्तैनी भूमि को पूर्णरूपेण बख्शीश के आधार पर पत्नी को

और उसके पश्चात पत्नी द्वारा पुनः बख्शीश के आधार पर संपूर्ण भूमि को पुत्र उसके वारिसान को छोड़कर केवल पुत्रियों को बख्शीश करने का विधिक अधिकार नहीं था। वादीगण सुगनाराम के पौत्र होने के आधार पर विधिक वारिस प्रमाणित होने के कारण उक्त भूमियों में उनके हक एवं अधिकार पूर्णतया सिद्ध व प्रमाणित होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के आधार पर वादग्रस्त भूमि में उन्हें हक अधिकार प्राप्त होते है। इस संबंध में रेस्पो0 पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों के आधार पर भी इसी विधिक स्थिति की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2021 विधिसंगत पाया जाता है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्ण विवेचन करने के उपरांत परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये वादी पक्ष का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी कर मूल ही प्रकरण परीक्षण न्यायालय को विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया है।

9. अतः यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2021 यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27.03.2023 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट) **(राजेश्वर सिंह)**

सदस्य **अध्यक्ष**

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर **W. R.**

निगरानी/टी.ए./4129/2018/गंगानगर

1. मलकीत कौर **.....अपीलार्थीगण**

बनाम

1. बनवारी पुत्र जस्सूराम व अन्य **.....प्रत्यर्थीगण**

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित :

श्री दिनेश कुमार सेन, अधिवक्ता, प्रार्थिया

श्री आर.एस. बराड़, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 20.06.2023

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या-144/2016 बउनवानी मलकीत कौर बनाम हुकमीबाई वगैराह में पारित आदेश दिनांक 21-05-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या-1 हुक्मीबाई ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 33ए तहसील अनूपगढ़ के मु.न. 26 के पत्थर नम्बर 348/430 के किला नम्बर 1 ता 13/1 की कुल 3.0990 हैक्टयर कमाण्ड भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज है। इसी मुरब्बा के किला नम्बर 20-21 में अस्थाई रास्ता जो पूर्व में चालू था परन्तु वर्तमान में बन्द है। प्रार्थिया को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में आने-जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। अत: प्रार्थिया को अपनी खातेदारी की भूमि में आने-जाने के लिए चक 33-ए तहसील अनूपगढ़ के मु. न. 26 के पत्थर नम्बर 348/430 के किला नम्बर 20 में 0.01 हैक्टयर व किला नम्बर 21 में 0.021 हैक्टयर में रास्ता स्वीकृत किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर

कर विपक्षी प्रार्थी निगराकार मलकीत कौर को जरिये सम्मन तलब किया, जिसके उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बाद जाँच एवं सुनवाई निर्णय दिनांक 9-6-2016 से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरुद्ध विपक्षी प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21-5-2018 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25-11-2002 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

अभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का तर्क है कि हुक्मीबाई ने धारा 251ए का प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी के यहाँ पेश किया था, लेकिन उस प्रार्थना पत्र की तामील प्रार्थी निगरानीकार पर नहीं हुई और दिनांक 19-11-2002 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का तर्क है कि हुक्मीबाई ने धारा 251-ए का प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी के यहाँ पेश किया था, लेकिन उस प्रार्थना पत्र की तामील प्रार्थी निगरानीकार पर नहीं हुई और दिनांक 19-07-2015 को चस्पानगी से तामिल करवाकर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी। जबकि चस्पान्दगी का आदेश ही नहीं था। अधिवक्ता प्रार्थी निगरानीकार ने आगे कथन किया है कि उक्त पत्रावली पेशी में 2015 से सीधे ही 02-05-2016 को आई है, बीच में पत्रावली कहां रही और पक्षकारगण को नोटिस देने का आदेश भी दिया गया है। नियम 69 के अनुसार मौका रिपोर्ट गिरदावरी या इससे उच्च अधिकारी ही तैयार कर सकता है लेकिन रिपोर्ट पटवारी की है उपखंड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को आदेश दिए गए थे और उसने पटवारी को आदेश दे दिए डेलिगेशन पावर को पुनः डेलीगेटेड नहीं किया जा सकता, का सिद्धान्त लागू होता है और उक्त रास्ता अप्रार्थी गैरनिगरानीकार के लिए आवश्यक रहा हो ऐसे भी कोई साक्ष्य नहीं है बताई गई रिपोर्ट भी अधूरी है और मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले उसे नोटिस भी नहीं किया गया है और प्रार्थी निगरानीकार के खेत के दो टुकड़े कर दिए रास्ता इनके पास पहले से ही है। भू-अभिलेख निरीक्षक मौके पर नहीं गया जबकि उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार को आदेश

दिया था। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रास्ता नहीं है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी कोई गौर किए बिना ही आदेश की पुष्टि कर दी। प्रार्थी निगरानीकार के तथ्यों एवं तर्कों पर भी कोई विचार नहीं किया। अत: अपील स्वीकार की जाकर मामला रिमांड किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. आरबीजे 2021 पेज 288.
2. डी.एन.जे. (रेवन्यु) 2018, 221.
3. आर.आर. टी. 2016 (2), पेज 1281.
4. आरबीजे 2021, पेज 276.
5. डी.एन.जे. (रेवन्यु) 2022 (1) पेज 302.
6. आर.आर.टी. 2022 (2) पेज 1096.
7. आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1017 (एच.सी.)।
8. आर.आर.टी. 2017 (1), पेज 423.

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार का तर्क है कि आदेश 5 नियम 16 सीपीसी के अनुसार पक्षकार नहीं मिलने पर उसकी गैरमौजूदगी में चस्पान्दगी की जा सकती है उसमें कोई अवैधता नहीं है। पटवारी रिपोर्ट आवेदन पत्र निर्धारित प्रफोर्मा में है और जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं पटवारी व तहसीलदार के भी हस्ताक्षर हैं सबसे कम जगह का रास्ता यानी नजदीक रास्ता दिया गया है वैकल्पिक रास्ता कोई हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। प्रार्थी के मकान कहाँ बने हैं, इस बाबत साइट प्लान में अंकन नहीं है। रास्ता खुल गया है और उससे पैसे भी जमा करा दिए हैं रास्ता चालू हो गया है। प्रार्थी मात्र प्रकरण को लटकाना चाहता है, अत: निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी गैरनिगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1098.
2. आर.आर.टी. 2018–2019, पेज 511.
3. आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 574.
4. आरबीजे 2022, पेज 189 (एच.सी.)।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित आदेश का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में गैरनिगरानीकार हुक्मीबाई ने अपने खेत चक नंबर 33ए मुरब्बा नंबर 26 पत्थर नंबर 348/430 किला नंबर 1 ता. 13/1 में जानने के लिए किला नंबर 20–21 में से रास्ता चाहा गया था। विद्वान विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और किला नंबर 20–21 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता दिया गया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा वैकल्पिक रास्ता नहीं होना मान कर नियम 68, 70 की पालना होना और आवश्यकता के आधार पर रास्ता मानते हुए अपील खारिज की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय रास्ता पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दिया गया है और रास्ता कितना चौड़ा और कितना लंबा दिया गया है, कितनी भूमि रास्ते में गई है, इस बात का कोई आदेश नहीं है जबकि रास्ता दिए जाने में 30 फुट तक का प्रावधान है। विद्वान विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा रास्ता कितना चौड़ा दिया गया है इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने यह तर्क किया है कि तामिल चस्पानगी से हुई है और उसका आदेश नहीं है लेकिन तर्क पूर्णतया विधि विरुद्ध है और मानने योग्य नहीं है। आदेश 5 नियम 17 सीपीसी में यह प्रावधान है कि यदि पक्षकार उपस्थित नहीं मिलता है या सम्मन लेने से इन्कार करता है तो उसकी गैरमौजूदगी में व गवाहों की मौजूदगी में मकान के सहज दृश्य भाग पर सम्मन चस्पा किया जा सकता है इसलिए चस्पान्दगी के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए हैं, वह आदेश 5 नियम 20 सीपीसी का नहीं है बल्कि आदेश 5 नियम 17 सीपीसी का है इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2021 पेज 288 में यह व्यक्त किया है कि–Civil procedure code 1908 order 5 rule 20 without order of the court summons cannot be served by affixing the copy thereof in some conspicuous place in the court house and also upon some conspicuous part of the house (if any) in which the defendant is known to have last resident or carried on business or personally work for gain or in such manner as the court think fit. जो तथ्यों की भिन्नता के कारण से प्रार्थी निगरानीकार की कोई मदद नहीं करता है। पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 18–05–2016 को पेशी में आई है आदेशिका में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर पेश होने पर आज पेशी में ली गई है पक्षकारान के अधिवक्ता को सूचित कर पत्रावली दिनांक 09–06–2016 को पेश हो, इस आदेशिका की पालना में पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हो, ऐसे कोई साक्ष्य और आदेशिका नहीं है ऐसी स्थिति में केवल मात्र अकेले

प्रार्थी को सुनकर फैसला किया जाना उचित व विधिसम्मत नहीं है। विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है।

रास्तों के मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 में यह व्यवस्था दी गई है कि–

251–क. **अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–**

(1) जहाँ–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जाँच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग तो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित

करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

और राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 बने हुए हैं नियम 69 में यह उल्लेख किया है कि–

पूछताछ एवं आवेदन-पत्र का निपटान (डिस्पोजल)– प्ररूप-1 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल (साइट) का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू-अभिलेख के पद (रैंक) से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवायेगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों (पार्टीज) को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच, जिसे वह अनावश्यक समझे, करने के बाद, यदि अपना इससे अपना समाधान कर लेता है कि–

(i) आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है; एवं

(ii) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है, वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा।.....

इस प्रकार इन नियमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रास्ता अत्याधिक आवश्यकता का होना चाहिए, सुविधाजनक नहीं और वैकल्पिक रास्ता नहीं होना चाहिए और मौका रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो सकती। इस प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है जो तहसीलदार साहब अनूपगढ़ को भेजी गई है और उस रिपोर्ट पर काउंटर हस्ताक्षर तहसीलदार द्वारा किए गए हैं यानि कि भू-अभिलेख निरीक्षक के पद से नीचे के व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है जो नियम 69 की पालना नहीं की गई है रिपोर्ट के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया गया है वह भी अधूरा है इसके पड़ोस के खेत खसरा नंबरान चक नंबर आदि मुरबा नंबर का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पटवारी रिपोर्ट सूक्ष्म रूप से बनाई गई है जबकि नक्शा ट्रेस नहीं दिखाया गया है, अतः ऐसी स्थिति में यह रिपोर्ट पर्याप्त और पूर्ण रिपोर्ट भी नहीं है और अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. (रेवेन्यु) 2018 पेज 221 में यह व्यक्त किया है कि–Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 251-Application to sanction the new way was allowed-Respondent Nos. 1 to 3 claimed way from Khasra No. 3670 and prayed to delete the khatedari rights of the revisionist over the said land-Report does not show that the Tehsildar himself visited the site-No notice given to parties to remain present at the site-Non-compliance of the directions given by the SDO-Summary inquiry made by the Trial court is not lawful-Courts below have committed the patent illegality and perversity in the orders-Held, Orders set aside and case remitted to the SDO to summon the report afresh.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1281 में यह व्यक्त किया है कि–Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 251-A-Application filed by nonpetitioner Nos. 1 to 6 to provide 4 bigha 5 biswa land for way from the arazi of the petitioner 'JR'-SDO allowed the application-Appeal dismissed-No report of site prepared in presence of the parties-Patwari alone inspected the site & prepared the report-Site report ought to have been prepared by Girdawar or Tehsildar-Held, Order set aside & case remanded to SDO to decide afresh.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2021 पेज 276 में यह व्यक्त किया है कि–Rajasthan Tenancy Act, 1955 section 251 a when no notice was given to the application about site Inspection Report. Revenue Inspector prepared the site Inspection Report arbitraly-order set aside.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. टी. 2022 (2) पेज 1096 में यह व्यक्त किया है कि–Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 251-A-SDO granted 30 feet wide way to the non-petitioner No. 1-Apeal dismissed-Patwari prepared the site report-No competent person to prepare the site report and report prepared by him is illegal-Person not below the rank of I.L.R. can prepare the report only-No notice was given to affected persons before preparing the report-Held, Orders set aside and case remanded with direction.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. टी. 2022 (2) पेज 1017 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि–Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 46-Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 135-Earlier land was recorded in name of Diety Somnathji Dolidar-At the time of resumption of Jagir Khasra No. 1035, 1036, 1037, 1040 and 1041 were shown under the cultivation of Kunva and Urja-Collector made reference on 26.3.1996 but dismissed and the Board held that petitioners were khatedars-

Writ petition and special appeal dismissed Pending writ petition the respondent No. 2 passed an order on 6.3.2003 that the petitioners were not khatedar of the land-In pursuance of the order the Collector vide order 31.3.2003 held that order of granting khatedari was illegal and directed to tranfer the land to diety-Held, Order dated 6.3.2003 is illegal and set aside against the petitioners.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. टी. 2017 (1) पेज 423 में यह व्यक्त किया है कि– Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 251-A-Application to grant way from the arazi of the petitioner towards Eastern side-One pacca room is existing on eastern corner of kila Nos. 5 & 6-Other convenient way can be granted from kila Nos. 1, 10, 11, 20 & 21 of Murabba No. 45-Alternative way is also available from 8LL & agriculturist having the access from Murabba No. 48-New way can not be created under the grab of convenient way-Held, Orders passed by the Courts below are illegal & set aside with direction.

इन न्यायिक दृष्टान्तों के खण्डन में अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्त्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1098 में यह व्यक्त किया है कि–Rajasthan Tenancy Act 1955 section 251A new way sanction from the land of the petitioners no other way is available way sanctioned is proper concurrent finding of courts below held interference declined.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2018–2019 पेज 511 में यह व्यक्त किया है कि– Rajasthan Tenancy Act, 1955 section 251A SDO sanction the 8 1/4 feet wide way on condition of payment of double of the DLC rate appeal dismissed report of the site was prepared by ILR no alternative convenient Ve available ILR is competent to prepare the site report help no legal or factual error in the order.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 574 में यह व्यक्त किया है कि– Rajasthan Tenancy Act 1955 section 251A respondents number 1 to 6 claimed 20 feet wide way through the Arazi number 825/38-trial court granted new way of 20 feet and directed to pay double amount of the DLC rate revision ILR inspected the sport along with the Patwari and the Tehsildar forwarded the report to the SDO revisionist not raised any objection regarding his presence at the spot and the presence marked wrongly Courts below recorded the concurrent finding that opening of new

way from the disputed land was expediate held, findings are neither illegal nor preverse order upheld.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2022 पेज 189 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि-Rajasthan Tenancy Act, 1955 section 251 a petitioner had enough opportunities before various forums to prove that as per law, the way in question was not required to be sanctioned on count of absence of an absolute necessity, but it is clear from the record that the way in question was an absolute necessity, but it is clear from the record that the way in question was an absolute necessity.

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन से यह प्रकट कि विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018-19 आरआरटी पेज 511 व 2019 आरआरटी पेज 574 में भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका देखा गया था लेकिन इस प्रकरण में पटवारी द्वारा मौका देखा गया है। अन्य न्यायिक दृष्टान्त में तथ्यों की भिन्नता के कारण गैर निगराकार को कोई मदद नहीं मिलती है।

इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विचार एवं विवेचन नहीं किया और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही अपील खारिज की है जो उचित वह विधिसम्मत नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार का एक तर्क यह भी है कि रास्ता खुल गया है, पैसे जमा करा दिए हैं, इसलिए यह निगरानी सारहीन हो चुकी है तर्क मानने योग्य नहीं है। न्यायिक आदेश के तहत व पालना में यदि प्रशासन के अध्यधीन ही होती है, अंतिम नहीं होती है। आदेश की पालना में की जाने वाली कार्यवाही उस आदेश को अंतिम होने तक अपीलाधीन आदेश के अधीन के अधीन ही मानी जाएगी और उपखंड अधिकारी विचारण न्यायालय द्वारा आदेश अंतिम नहीं हुआ है अपीलाधीन रहा है।

परिणामत: प्रार्थिया की निगरानी 4129/2018 बउनवानी मलकीत कौर बनाम हुकमीबाई आंशिक स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 06/2015 बउनवानी हुक्मीबाई बनाम मलकीत कौर में पारित निर्णय दिनांक 09-06-2016 और राजस्व अपीलीय अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 144/2016 बउनवानी मलकीत कौर बनाम हुकमीबाई वगैराह में पारित आदेश दिनांक 21-05-2018 अपास्त किए जाते हैं और मामला राजस्व अपीलीय अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रति प्रेषित किया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी

(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए तहसीलदार/भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब करके दो माह के भीतर इस प्रकरण का निस्तारण करें।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में दिनांक 21-07-2023 को उपस्थित हो।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।

निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)

सदस्य)

राजस्थान में नवीन संभाग एवं उनमें सम्मिलित ज़िले

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(15) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जयपुर संभाग व बीकानेर संभाग में से सीकर, जोधपुर संभाग में से पाली एवं उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा कुल 3 नये संभागों का गठन किया जाकर नवीन संभागों का गठन एवं वर्तमान संभागों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	संभाग का नाम	संभाग में सम्मिलित जिले
1	सीकर	1. सीकर, 2. झुंझुनू, 3. नीम का थाना, 4. चूरू
2.	पाली	1. पाली, 2. जालौर, 3. सांचौर, 4. सिरोही
3.	बांसवाड़ा	1. बांसवाड़ा, 2. डूंगरपुर, 3. प्रतापगढ़
4.	जयपुर	1. जयपुर, 2. जयपुर (ग्रामीण), 3. दूदू, 4. कोटपूतली-बहरोड़, 5. दौसा, 6. खैरथल-तिजारा, 7. अलवर
5.	बीकानेर	1. बीकानेर, 2. श्रीगंगानगर, 3. हनुमानगढ़, 4. अनूपगढ़
6.	अजमेर	1. अजमेर, 2. ब्यावर, 3. केकड़ी, 4. टोंक, 5 नागौर, 6. डीडवाना-कुचामन, 7. शाहपुरा

7.	भरतपुर	1. भरतपुर, 2 धौलपुर, 3. करौली, 4. डीग, 5. गंगापुरसिटी, 6. सवाई माधोपुर
8.	कोटा	1. कोटा, 2. बून्दी, 3. बारां, 4. झालावाड़
9.	जोधपुर	1. जोधपुर, 2 जोधपुर (ग्रामीण), 3. फलौदी, 4. जैसलमेर, 5. बाड़मेर, 6. बालोतरा
10.	उदयपुर	1. उदयपुर, 2. चित्तौड़गढ़, 3. भीलवाड़ा, 4. राजसमंद, 5. सलूम्बर

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/-

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान में नवगठित/पुनर्गठित ज़िले

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023 Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023	

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(1) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **अनूपगढ़-** श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिलों का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला अनूपगढ़ गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय अनूपगढ़ होगा।

   नवगठित अनूपगढ़ जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
अनूपगढ़	1. अनूपगढ़	अनूपगढ़
	2. रायसिंह नगर	रायसिंहनगर
	3. श्रीविजयनगर	श्रीविजयनगर
	4. घड़साना	घड़साना
		रावला
	5. छत्तरगढ़	छत्तरगढ़
	6. खाजूवाला	खाजूवाला

2. **श्रीगंगानगर**–पुनर्गठित श्रीगंगानगर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:–

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
श्रीगंगानगर	1. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
	2. श्रीकरणपुर	श्रीकरणपुर
	3. सूरतगढ़	सूरतगढ़
	4. सार्दुलशहर	सार्दुलशहर
	5. पदमपुर	पदमपुर
		गजसिंहपुरा

3. **बीकानेर**–पुनर्गठित बीकानेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:–

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
बीकानेर	1. बीकानेर	बीकानेर
	2. लूणकरणसर	लूणकरणसर
	3. नोखा	नोखा
	4. पूगल	पूगल
	5. श्रीडूंगरगढ़	श्रीडूंगरगढ़
	6. कोलायत	कोलायत
		हदा
	7. बज्जू	बज्जू

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होंगी।

ह0/–

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(2) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **बालोतरा**-बाड़मेर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला बालोतरा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय बालोतरा होगा।

नवगठित बालोतरा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
बालोतरा	1. बालोतरा	पचपदरा
		कल्याणपुर
	2. सिवाना	सिवाना
		समदड़ी
	3. बायतु	बायतु
		गिड़ा
	4. सिणधरी	सिणधरी

2. **बाड़मेर**–पुनर्गठित बाड़मेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:–

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
बाड़मेर	1. बाड़मेर	बाड़मेर
		बाड़मेर ग्रामीण
		बाटाडू
	2. गड़रारोड़	गड़रारोड़
	3. रामसर	रामसर
	4. चौहटन	चौहटन
		धनाउ
	5. धोरीमन्ना	धोरीमन्ना
	6. गुड़ामालानी	गुड़ामालानी
		नोखेडा
	7. सेडवा	सेडवा
	8. शिव	शिव

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/–

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
सत्यमेव जयते	*साधिकार प्रकाशित*	*Published by Authority*
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023 Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023	

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(3) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **ब्यावर**–अजमेर, पाली एवं भीलवाड़ा जिलों का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला ब्यावर गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय ब्यावर होगा।

   नवगठित ब्यावर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं–

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
ब्यावर	1. ब्यावर	ब्यावर
	2. टाटगढ़	टाटगढ़
	3. जैतारण	जैतारण
	4. रायपुर	रायपुर
	5. मसूदा	मसूदा
		विजयनगर
	6. बदनोर	बदनोर

2. **अजमेर**—पुनर्गठित अजमेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
अजमेर	1. अजमेर	अजमेर
	2. पुष्कर	पुष्कर
	3. पीसांगन	पीसांगन
	4. नसीराबाद	नसीराबाद
	5. किशनगढ़	किशनगढ़
	6. रूपनगढ़	रूपनगढ़
	7. अराई	अराई

3. **पाली**—पुनर्गठित पाली जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
पाली	1. सोजत	सोजत
	2. मारवाड़ जंक्शन	मारवाड़ जंक्शन
	3. सुमेरपुर	सुमेरपुर
	4. बाली	बाली
	5. पाली	पाली
	6. रोहट	रोहट
	7. देसूरी	देसूरी
	8. रानी	रानी

4. **केकड़ी**—अजमेर एवं टोंक जिलों का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला केकड़ी गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय केकड़ी होगा।

नवगठित केकड़ी जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
केकड़ी	1. केकड़ी	केकड़ी
	2. सावर	सावर
	3. भिनाय	भिनाय
	4. सरवाड़	सरवाड़
		टांटोटी
	5. टोडारायसिंह	टोडारायसिंह

5. टोंक-पुनर्गठित टोंक जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	उपखण्ड	नाम तहसील
टोंक	1. टोंक	टोंक
	2. देवली	देवली
		नगरफोर्ट
		दूनी
	3. निवाई	निवाई
	4. पीपलू	पीपलू
	5. उनियारा	उनियारा
		अलीगढ़
	6. मालपुरा	मालपुरा

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/-

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(4) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **डीग**-भरतपुर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला डीग गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय डीग होगा।

   नवगठित डीग जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
डीग	1. डीग	डीग
		जनूथर
	2. कुम्हेर	कुम्हेर
		रारह
	3. नगर	नगर
	4. सीकरी	सीकरी
	5. कामां	कामां
		जुरहरा
	6. पहाड़ी	पहाड़ी

2. **भरतपुर**—पुनर्गठित भरतपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:—

जिला	**नाम उपखण्ड**	**नाम तहसील**
भरतपुर	1. भरतपुर	भरतपुर
	2. बयाना	बयाना
	3. बैर	बैर
	4. भुसावर	भुसावर
	5. रूपवास	रूपवास
		रूदावल
	6. उच्चैन	उच्चैन
	7. नदबई	नदबई

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/—

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(5) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **डीडवाना-कुचामन-**नागौर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला डीडवाना-कुचामन गठित किया जाता है। मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक मुख्यालय अस्थाई रूप से डीडवाना रहेगा।

नवगठित डीडवाना-कुचामन जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
डीडवाना-कुचामन	1. डीडवाना	डीडवाना
		मौलासर
		छोटी खाटू
	2. लाडनूं	लाडनूं
	3. परबतसर	परबतसर
	4. मकराना	मकराना
	5. नावां	नावां
	6. कुचामनसिटी	कुचामनसिटी

2. **नागौर**–पुनर्गठित नागौर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:–

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
नागौर	1. नागौर	नागौर
	2. मूण्डवा	मूण्डवा
	3. खींवसर	खींवसर
	4. जायल	जायल
		डेह
	5. मेड़ता	मेड़ता
	6. रियांबड़ी	रियांबड़ी
	7. डेगाना	डेगाना
		सांजू

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/–

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(6) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **दूदू**-जयपुर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला दूदू गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय दूदू होगा।

   नवगठित दूदू जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
दूदू	1. मौजमाबाद	मौजमाबाद
	2. दूदू	दूदू
	3. फागी	फागी

शेष जयपुर जिले का पुनर्गठन करते हुए पृथक् से अधिसूचित किया जा रहा है।

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/-

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित
Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(2) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **गंगापुरसिटी**-सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला गंगापुरसिटी गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय गंगापुर सिटी होगा।

नवगठित गंगापुरसिटी जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
गंगापुरसिटी	1. गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी
	2. वजीरपुर	तलावड़ा
		वजीरपुर
	3. बामनवास	बामनवास
		बरनाला
	4. टोडाभीम	टोडाभीम
	5. नादोती	नादोती

2. **सवाई माधोपुर–** पुनर्गठित सवाई माधोपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:–

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
सवाई माधोपुर	1. सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
	2. खण्डार	खण्डार
	3. चौथ का बरवाड़ा	चौथ का बरवाड़ा
	4. बौंली	बौंली
		मित्रपुरा
	5. मलारनाडूंगर	मलारनाडूंगर

3. **करौली**–पुनर्गठित करौली जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तहसीलें सम्मिलित रहेगी:–

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
करौली	1. करौली	करौली
		मासलपुर
	2. सपोटरा	सपोटरा
	3. मण्डरायल	मण्डरायल
	4. हिण्डौन	हिण्डौन
		सूरौठ
		श्रीमहावीरजी

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/–

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(8) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **जयपुर-** जयपुर जिले का मुख्यालय जयपुर होगा जिसमें निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
जयपुर	1. जयपुर	जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) एवं नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग।
		तहसील कालवाड का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग
	2. आमेर	तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग।
	3. सांगानेर	तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग।

2. **जयपुर (ग्रामीण)**–जयपुर (ग्रामीण) जिला गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय जयपुर होगा। जयपुर (ग्रामीण) जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
जयपुर (ग्रामीण)	1. जयपुर	तहसील जयपुर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज एवं नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त भाग।
		तहसील कालवाड का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग।
	2. सांगानेर	सांगानेर तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग।
	3. आमेर	तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग।
		जालसू।
	4. बस्सी	बस्सी
		तूँगा
	5. चाकसू	चाकसू
		कोटखावदा
	6. जमवारामगढ़	जमवारामगढ़
		आंधी
	7. चौमूं	चौमूं
	8. सांभरलेक	फुलेरा मु.-सांभरलेक
	9. माधोराजपुरा	माधोराजपुरा

	10. रामपुरा डाबडी	रामपुरा डाबडी
	11. किशनगढ़-रेनवाल	किशनगढ़ रेनवाल
	12. जोबनेर	जोबनेर
	13. शाहपुरा	शाहपुरा

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/-

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023 Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023	

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(9) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **फलौदी**-जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला फलौदी गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय फलौदी होगा।

नवगठित फलौदी जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
फलौदी	1. फलौदी	फलौदी
	2. लोहावट	लोहावट
	3. आऊ	आऊ
	4. देचू	देचू
		सेतरावा
	5. बाप	बाप
		घंटियाली
	6. बापिणी	बापिणी

2. **जोधपुर**–जोधपुर जिले का मुख्यालय जोधपुर होगा जिसमें निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:–

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
जोधपुर	1. जोधपुर (उत्तर)	जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग।
	2. जोधपुर (दक्षिण)	जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग।

3. **जोधपुर (ग्रामीण)**–जोधपुर (ग्रामीण) जिला गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय जोधपुर होगा। जोधपुर (ग्रामीण) जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:–

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
जोधपुर (ग्रामीण)	1. जोधपुर (उत्तर)	तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग।
	2. जोधपुर (दक्षिण)	तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग।
		कुडीभक्तासनी
	3. लूणी	लूणी
		झंवर
	4. बिलाडा	बिलाडा
	5. भोपालगढ़	भोपालगढ़
	6. पीपाडसिटी	पीपाडसिटी
	7. ओसियाँ	ओसियाँ
		तिवरी

	8. बावडी	बावड़ी
	9. शेरगढ़	शेरगढ़
	10. बालेसर	बालेसर
		सेखाला
		चामू

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/-

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते	**राजस्थान राज-पत्र** विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023 Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023	

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(10) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **खैरथल-तिजारा-**अलवर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला खैरथल-तिजारा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय खैरथल होगा।

नवगठित खैरथल-तिजारा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
खैरथल-तिजारा	1. तिजारा	तिजारा
	2. किशनगढ़बास	किशनगढ़बास
		खैरथल
	3. कोटकासिम	कोटकासिम
		हरसोली
	4. टपूकड़ा	टपूकड़ा
	5. मुंडावर	मुंडावर

2. **कोटपूतली-बहरोड़**—जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला कोटपूतली-बहरोड़ गठित किया जाता है।

मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक मुख्यालय अस्थाई रूप से कोटपूतली रहेगा। नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
कोटपूतली-बहरोड़	1. बहरोड़	बहरोड़
	2. बानसूर	बानसूर
	3. नीमराना	नीमराना
		मांढण
	4. नारायणपुर	नारायणपुर
	5. कोटपूतली	कोटपूतली
	6. विराटनगर	विराटनगर
	7. पावटा	पावटा

3. **अलवर**—पुनर्गठित अलवर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
अलवर	1. अलवर	अलवर
	2. गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
	3. रैणी	रैणी
	4. लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
	5. मालाखेड़ा	मालाखेड़ा
	6. राजगढ़	राजगढ़
		टहला
	7. रामगढ़	रामगढ़
		नौगावा

	8. थानागाजी	थानागाजी
		प्रतापगढ़
	9. कठूमर	कठूमर

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/–

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

सत्यमेव जयते

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(11) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **नीम का थाना**–सीकर एवं झुंझुनू जिलों का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला नीम का थाना गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय नीम का थाना होगा।

   नवगठित नीम का थाना जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं–

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
नीम का थाना	1. नीम का थाना	नीम का थाना
		पाटन
	2. श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर
	3. उदयपुरवाटी	उदयपुरवाटी
	4. खेतड़ी	खेतड़ी

2. **झुन्झुनू–** पुनर्गठित झुन्झुनू जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं–

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
झुन्झुनू	1. झुन्झनू	झुन्झुनू
		गुढागौडजी
	2. नवलगढ़	नवलगढ़
	3. बुहाना	बुहाना
	4. चिडावा	चिडावा
	5. मण्डावा	मण्डावा
		बिसाऊ
	6. मलसीसर	मसलीसर
	7. सूरजगढ़	सूरजगढ़
		पिलानी

3. **सीकर–** पुनर्गठित सीकर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
सीकर	1. फतेहपुर	फतेहपुर
	2. रामगढ़ शेखावाटी	रामगढ़ शेखावाटी
	3. लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
	4. नेछवा	नेछवा
	5. सीकर	सीकर
	6. धोद	धोद
		सीकर ग्रामीण
	7. दातारामगढ़	दातारामगढ़
	8. खण्डेला	खण्डेला
	9. रींगस	रींगस

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/-

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(12) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **सलूम्बर**–उदयपुर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला सलूम्बर गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय सलूम्बर होगा।

   नवगठित सलूम्बर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
सलूम्बर	1. सराड़ा	सराड़ा
	2. सेमारी	सेमारी
	3. लसाड़िया	लसाड़िया
	4. सलूम्बर	सलूम्बर
		झल्लारा

2. **उदयपुर**–पुनर्गठित उदयपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
उदयपुर	1. गिर्वा	गिर्वा
		कुराबड़
	2. बडगाँव	बडगाँव
	3. कोटड़ा	कोटड़ा
	4. गोगुन्दा	गोगुन्दा
		सायरा
	5. झाड़ोल	झाड़ोल
		फलासिया
	6. मावली	मावली
		घासा
	7. ऋषभदेव	ऋषभदेव
	8. वल्लभनगर	वल्लभनगर
	9. भीण्डर	भीण्डर
		कानोड़
	10. खैरवाड़ा	खैरवाड़ा
	11. नयागाँव	नयागाँव

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/-

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023 Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023	

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(13) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **सांचौर**-जालोर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला सांचौर गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय सांचौर होगा।

   नवगठित सांचौर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
सांचौर	1. सांचौर	सांचौर
	2. बागौडा	बागौडा
	3. चितलवाना	चितलवाना
	4. रानीवाड़ा	रानीवाड़ा

2. **जालोर**—पुनर्गठित जालोर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:—

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
जालोर	1. जालोर	जालोर
	2. आहोर	आहोर
		भाद्राजून
	3. सायला	सायला
	4. भीनमाल	भीनमाल
	5. जसवन्तपुरा	जसवन्तपुरा

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/—

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित
Published by Authority

श्रावण 15, रविवार, शाके 1945- अगस्त 06, 2023
Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023

भाग-ख 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त, 05, 2023

संख्या प. 9 (18) राज-1/2022-(14) :- राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956) का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. **शाहपुरा**—भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन किया जाकर नया जिला शाहपुरा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय शाहपुरा होगा।

   नवगठित शाहपुरा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
शाहपुरा	1. शाहपुरा	शाहपुरा
	2. जहाजपुर	जहाजपुर
		काछोला
	3. फूलियाकलां	फूलियांकलां
	4. बनेडा	बनेडा
	5. कोटडी	कोटडी

2. **भीलवाड़ा**—पुनर्गठित भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
भीलवाड़ा	1. माण्डलगढ़	माण्डलगढ़
	2. बिजौलिया	बिजौलिया
	3. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
		सवाईपुर
	4. रायपुर	रायपुर
	5. गंगापुर	सहाडा
	6. आसीन्द	आसीन्द
	7. करेडा	करेडा
	8. हमीरगढ़	हमीरगढ़
	9. माण्डल	माण्डल
	10. गुलाबपुरा	हूरड़ा
		अन्टाली

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

ह0/-

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 4 (1) Rev-6/2023/25 **Jaipur, dated : 30.05.2023**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 261 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby marks the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules, 1957, namely :-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Land Records) (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

(2) Amendment of Rule 28.- In rule 2 of the Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules 1957, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) The existing clause (b) shall be substituted by the following, namely:-

''(b) The Patwari shall give to any applicant certified extract from his record except the settlement records. These certified extracts shall be given on the printed forms prescribed for each kind of record. On every certified extract supplied the Patwari shall write the word ''True Copy'' and affix his signature with designation. He shall also enter on the certified copy/extract the date of application for the ceritified copy/extract, the date of preparation thereof and date of handing over to the applicant. The Patwari shall give certified copy/extract free of cost within three days from the date of receipt of the application.

Note : (1) The copy of current record shall be given at the tehsil within 24 hours.

(2) The tracing papers shall be provided by the Government to the Patwari.''

(ii) The existing clause (bb) shall be substituted by the following, namely:-

''(bb) To obtain copies of the Record kept at Tehsil and District Head quarters applications shall have to be given. The procedure for application shall be the same as prescribed in the District Manual and Revenue Courts Manual. Copies of records kept at Tehsil and District Head quarters shall be given free of cost.''

(iii) The existing clause (bbb) shall be substituted by the following, namely:-

(bbb) The copies of original Settlement Record and trace shall be given by the Commissioner, Settlement Department, Rajasthan, Jaipur free of cost''; and

(iv) The existing clause (d) shall be substituted by the following, namely:-

(d) The Patwari shall enter in his diary a note of such inspections and extracts. The account of certified copies/extracts given by Patwari should be kept in a register in Form P-35.''

3. Amendment of rule 34.- In sub-rule (iii) of rule 34 of the said rules,-

(i) The existing clause (a) including its explanation shall be substituted by the following, namely.-

(a) If any Khatedar of Gair Khatedar tenant desires to have his field surveyed and demarcated, or to affix boundary marks along the periphery of his field, he shall apply for the same to the Tehsildar in the from prescribed below.''; and

(ii) The existing Form shall be substituted by the following, namely:-

''FORM

1. Name of the applicant with father's name.
2. Name of village :-
   (a) of residence
   (b) in which land is situated
3. Headquarters of patwar halqua
4. (a) Khata No.
   (c) Status of tenant (Khatedar/Gair Khatedar)
5. Khasara No. and area of land to be survey and demarcated.
6. Condition of existing boundary pillars or marks.
7. Other information.

Date : Signature of Tenant''

4. Amendment of rule 169-N.- In rule 169-N of the said rules, the existing expression ''on payment of fees as prescribed in these rules'' shall be deleted.

5. Amendment of Form No. P-35.- The existing form No. P-35 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"FORM No. P-35

(See Para 28)

Register showing details of grant of Certificate Extracts from the Patwari Records.

S. No. as given in the Patwari's Diary	Name of Village	Date of application	Name of applicant
1	2	3	4

Nature of paper of which copy is desired	Date on which copy handed over	Details of the copy applied	Signature of applicant
5	6	7	8

Signature of Patwari	Signature of Quanungo	Remarks
9	10	11

By order of the government

Sd/-

(M.D. Ratnoo)

Deputy Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (64) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 16 जून, 2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, सन् 1956) की धारा 20 (घ) (1) एवं धारा 260 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा **जिला चित्तौड़गढ़** में **नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, रावतभाटा** का सृजन करती है।

नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, **रावतभाटा** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	उपखण्ड का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			तहसील का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			कुल भू-अभि. निरीक्षक वृत्त की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार			
1.	रावतभाटा	144351.09	140128	रावतभाटा	144351.09	140128	07	27	231
2.	बेगूं	96291	135340	बेगूं	96291	135340	0	34	250
योग	**02**	**240642.09**	**275468**	**02**	**240642.09**	**275468**	**15**	**61**	**481**

आज्ञा से,

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (26) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 25.04.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, सन् 1956) की धारा 20 (घ) (1) एवं धारा 260 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा **जिला दौसा** में **नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, लालसोट** का सृजन करती है।

नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, **लालसोट** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	उपखण्ड का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			तहसील का विवरण (सम्मिलित होने वाले)			कुल भू-अभि. निरीक्षक वृत्त की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार			
1.	लालसोट	56468	23320	लालसोट	43801	185932	06	26	138
				निर्झरना	12667	47888	03	10	44
2.	रामगढ़ पचवारा	30970	115623	रामगढ़ पचवारा	14529	56960	03	10	75
				राहुवास	16441	58663	03	11	66
योग	**02**	**87438**	**349443**	**04**	**87438**	**349443**	**15**	**57**	**323**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्व मोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (28) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 5 मई, 2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, सन् 1956) की धारा 20 (घ) (1) एवं धारा 260 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा **जिला अजमेर** में **नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी** का सृजन करती है।

नवीन कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, **केकड़ी** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	उपखण्ड का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			तहसील का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल भू-अभि. निरीक्षक वृत्त की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार			
1.	केकड़ी	66595.59	139992	केकड़ी	66595	139992	10	38	63
2.	सावर	32738	64062	सावर	32738	64062	05	22	50
3.	सरवाड़	103590.3925	154562	सरवाड़	88109.1125	129608	13	55	103
				टांटोटी	15481.28	24954	02	09	13
4.	अरांई	55787.5337	80079	अरांई	55787.5337	80079	07	29	55
5.	भिनाय	81931	126466	भिनाय	81931	126466	11	49	97
6.	नसीराबाद	74858	187486	नसीराबाद	74858	187486	15	60	90
7.	मसूदा (आंशिक)	31657	100131	विजयनगर	31657	100131	05	212	57
योग	**07 (6 पूर्ण 2 आंशिक)**	**447157.5162**	**852778**		**447157.5162**	**852778**	**68**	**283**	**528**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्व मोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (33) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 25.04.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 व 16 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जोधपुर के उपखण्ड **लोहावट** का पुनर्गठन करते हुये **नवीन उपखण्ड कार्यालय आऊ एवं बापिणी (जिला जोधपुर)** का सृजन करती है।

नवसृजित उपखण्ड कार्यालय **आऊ** (जिला जोधपुर) का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	आऊ	70831	71537	03	11	59

नवसृजित उपखण्ड कार्यालय **बापिणी** (जिला जोधपुर) का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	बापिणी	69873	771678	02	09	34

पुनर्गठित उपखण्ड कार्यालय **लोहावट** (जिला जोधपुर) का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:–

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	लोहावट	113814	121465	04	17	131

आज्ञा से,

ह0/–

(विश्व मोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (34) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 08.05.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 व 16 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जयपुर के उपखण्ड **सांभरलेक** का पुनर्गठन करते हुये **नवीन उपखण्ड कार्यालय किशनगढ़-रेनवाल** एवं उपखण्ड **आमेर** का पुनर्गठन करते हुए नवीन उपखण्ड कार्यालय रामपुरा डाबड़ी का सृजन करती है।

नवसृजित उपखण्ड कार्यालय **किशनगढ़-रेनवाल** (जिला जयपुर) का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	किशनगढ रेनवाल	43659.22	151180	06	24	76

पुनर्गठित उपखण्ड कार्यालय **सांभरलेक** (जिला जयपुर) का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	सांभरलेक	74307.61	169947	07	27	98

नवसृजित उपखण्ड कार्यालय **रामपुरा डाबड़ी** (जिला जयपुर) का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:–

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	रामपुरा डाबड़ी	44077.1700	172989	08	28	121

पुनर्गठित उपखण्ड कार्यालय **आमेर** (जिला जयपुर) का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:–

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	आमेर	45064.5800	165328	07	24	77

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्व मोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (23) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 13.03.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 व 16 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जयपुर के उपखण्ड **फागी** का पुनर्गठन करते हुये **नवीन उपखण्ड कार्यालय माधोराजपुरा (जिला जयपुर)** का सृजन करती है।

नवसृजित उपखण्ड कार्यालय **माधोराजपुरा** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	माधोराजपुरा	48125.6118	91155	06	22	87

पुनर्गठित उपखण्ड कार्यालय **फागी** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	फागी	63312.98	99971	07	30	88

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्व मोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (27) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 05.04.2023**

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 व 16 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं इस सम्बन्ध में गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला सीकर के उपखण्ड **खण्डेला** का पुनर्गठन करते हुये **नवीन उपखण्ड कार्यालय रींगस (जिला सीकर)** का सृजन करती है।

नवसृजित उपखण्ड कार्यालय **रींगस** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	रींगस	28666.68	118962	04	16	42

पुनर्गठित उपखण्ड कार्यालय **खण्डेला** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	खण्डेला	53187.01	200132	07	28	126

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्व मोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (29) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 20.04.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 व 16 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला अलवर के उपखण्ड **तिजारा** का पुनर्गठन करते हुये **नवीन उपखण्ड कार्यालय टपूकड़ा (जिला अलवर)** का सृजन करती है।

नवसृजित उपखण्ड कार्यालय **टपूकड़ा** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	टपूकड़ा	28115.5	243284	06	22	109

पुनर्गठित उपखण्ड कार्यालय **तिजारा** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	तिजारा	35439.5	158233	06	26	108

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्व मोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (65) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 12.06.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 व 16 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में गठन/पुनर्गठन हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला प्रतापगढ़ के उपखण्ड **पीपलखूंट** का पुनर्गठन करते हुये **नवीन उपखण्ड कार्यालय सुहागपुरा (जिला प्रतापगढ़)** का सृजन करती है।

नवसृजित उपखण्ड कार्यालय **सुहागपुरा** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	सुहागपुरा	41147.02	62341	05	20	136

पुनर्गठित उपखण्ड कार्यालय **पीपलखूंट (जिला प्रतापगढ़)** का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:-

क्र.	तहसील का विवरण (नवीन उपखण्ड में सम्मिलित)			कुल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की की संख्या	कुल पटवार मण्डल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
1.	पीपलखूंट	38222	82782	05	19	65

आज्ञा से,

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (49) राज-1/2023/तहसील/अलीगढ़ **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला टोंक की तहसील **उनियारा** का पुनर्गठन करते हुए नवीन तहसील **अलीगढ़** का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील **अलीगढ़,** जिला टोंक के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (शामिल किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (शामिल किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	अलीगढ़	4787	15173	अलीगढ़	286	7626	01
				बिलोता	1569	1730	02
				उखलाना	1866	4119	03
				सहादत्त नगर	1066	1698	02
2.	चौरु	7880	11253	चौरु-प्रथम	1610	3737	01
				चौरु-द्वितीय	1643	972	03
				हैदरीपुरा	2604	4418	06
				पाटोली	2023	2126	03
3.	पचाला (आंशिक)	2973	6383	पचाला	1926	4584	04
				रिजोदा	1047	1799	03

उप-तहसील सोप, तहसील अलीगढ़, जिला टोंक

3.	पचाला (आंशिक)	2887	2964	मण्डावरा	1280	1731	03
				महुवा	1607	1233	03
4.	सोप	7414	14180	सोप	2263	5482	01
				मोहम्मदपुरा	1417	3164	11
				आमली	2308	3212	06
				कोटडी	1426	2322	05
5.	देवली	7668	9205	देवली	2145	2247	01
				मुबारक नगर	1510	1359	05
				पायगा	2364	3098	05
				अनवार नगर	1649	2501	09
योग	**05**	**33609**	**59158**	**20**	**33609**	**59158**	**77**

पुनर्गठित तहसील **उनियारा,** जिला टोंक के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (शामिल किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (शामिल किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	उनियारा	6177	27809	उनियारा-प्रथम	3469	22774	05
				उनियारा-द्वितीय			
				पलाई	1284	3146	02
				नाहरा	1424	1889	04
2.	खातोली	7841	8744	खातोली	2245	2889	03
				पागडा	1150	905	03
				झुण्डवा	2473	2857	04
				रसूलपुरा	1973	2093	06

3.	ढिकोलिया	6709	10195	बिकोलिया	2171	2485	07
				खेलनिया	2340	3394	05
				बामनिया	1123	2256	03
				बालीथल	1075	2060	02
4.	ककोड	4236	7818	ककोड	2090	3921	02
				नयागाँव	1050	2436	06
				श्योराजपुरा	1096	1461	06
5.	खोहल्या (आंशिक)	1591	4037	खोहल्या	914	2812	03
				देवरी	677	1225	02

उप-तहसील बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक

5.	खोहल्या (आंशिक)	2804	4316	कुण्डेर	1369	2258	02
				केरोंद	1435	2058	03
6.	बनेठा	9550	16648	बनेठा-प्रथम	5358	8992	02
				बनेठा-द्वितीय			
				सुरेली	1954	3770	02
				रूपवास	2238	3886	07
7.	सूंथड़ा	5857	8803	सूंथड़ा	1466	3031	01
				महाराज कंवरपुरा	1048	1713	05
				रूपपुरा	1530	2077	04
				बून्दी	1813	1982	07
योग	**07**	**44765**	**88370**	**27**	**44765**	**88370**	**96**

नोट: जिला टोंक में तहसील उनियारा से नवीन प्रस्तावित अलीगढ़ सृजित करने तथा ग्राम पंचायतों एवं पटवार मण्डलों का कार्यक्षेत्र समान किये जाने के अनुक्रम में तहसील उनियारा एवं अलीगढ़ में सम्मिलित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्तों एवं पटवार मण्डलों का पुनर्गठन/विलोपन/सृजन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. तहसील उनियारा के क्षेत्राधिकार में उपतहसील बनेठा एवं नवसृजित तहसील अलीगढ़ के क्षेत्राधिकार में उपतहसील सोप को शामिल किया जाता है।

2. ग्राम सहादत्त नगर ग्राम पंचायत बिलोता का ग्राम होने से पटवार मण्डल बालीथल से हटाया जाकर नवसृजित तहसील अलीगढ़ में नवीन पटवार मण्डल सहादत्तनगर को पटवार मण्डल बिलोता के ग्राम खेडली को शामिल करते हुए बनाया गया है तथा पटवार मण्डल बिलोता का पुनर्गठन किया जाता है।
3. ग्राम मौलवी नगर ग्राम पंचायत चौरु का ग्राम होने से पटवार मण्डल हैदरीपुरी से कम करते हुए नवसृजित पटवार मण्डल चौरु-द्वितीय में शामिल किया गया है तथा पटवार चौरु का पुनर्गठन किया जाता है।
4. ग्राम मोलवी नगर ग्राम पंचायत चौरु में जाने के कारण पटवार मण्डल हैदरीपुरा का पुनर्गठन किया जाता है।
5. ग्राम पंचायत पाटोली से ग्राम गाडोली व अल्लापुरा ग्राम पंचायत खातोली में स्थानान्तरित हो जाने के कारण पटवार मण्डल पाटोली का पुनर्गठन किया जाता है।
6. ग्राम पंचायत पचाला से नवीन ग्राम पंचायत रिजोदा सृजित होने के कारण ग्राम पंचायत मुख्यालय रिजोदा पर नवीन पटवार मण्डल ग्राम रिजोदा, गफूरपुरा एवं पचाली को शामिल करते हुए बनाया गया है तथा उक्त कारण से पटवार मण्डल पचाला का पुनर्गठन किया जाता है।
7. ग्राम पंचायत मण्डावरा से पटवार मण्डल मण्डावरा का कार्य एवं दूरी अधिक होने से नवीन पटवार मण्डल महुवा का गठन ग्राम अलीपुरा-भगवानपुरा, महुवा एवं सोलतपुरा को शामिल करते हुए किया गया है एवं उक्त कारण से पटवार मण्डल मण्डावरा का पुनर्गठन किया जाता है।
8. ग्राम हनोतिया ग्राम पंचायत झुण्डवा से ग्राम पंचायत पायगा में स्थानान्तरित होने के कारण ग्राम हनोतिया को पटवार मण्डल रसूलपुरा से कम करते हुए पटवार मण्डल अनवारनगर में शामिल किया गया है, जिस कारण पटवार मण्डल रसूलपुरा एवं अनवार नगर का पुनर्गठन किया जाता है।
9. सहादत्त नगर नवीन पटवार मण्डल सृजित होने से भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त अलीगढ़ का पुनर्गठन कर पटवार मण्डल अलीगढ़, बिलोता, सहादत्त नगर एवं उखलाना शामिल किया जाता है।
10. पटवार मण्डल चौरु-द्वितीय नवीन पटवार मण्डल सृजित होने से भू-अभिलेख निरीक्षक

वृत्त चौरु का पुनर्गठन कर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त चौरु में पटवार मण्डल चौरु-प्रथम, चौरु-द्वितीय, हैदरीपुरा एवं पाटोली को शामिल किया जाता है।

11. पटवार मण्डल रिजोदा एवं महुवा नवीन पटवार मण्डल बनाये जाने से नवसृजित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पचाला में पटवार मण्डल पचाला रिजोदा, मण्डावरा एवं महुवा को शामिल किया जाता है।
12. पटवार मण्डल देवली, मुबारक नगर, पायगा एवं अनवार नगर को शामिल करते हुए नवीन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त देवली किया गया है। पूर्व में बना हुआ भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त झुण्डवा का विभाजन हो जाने से उक्त भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त को समाप्त/विलोपित किया जाता है।
13. पटवार मण्डल पाटोली के ग्राम अल्लापुरा एवं गाडोली ग्राम पंचायत खातोली में होने के कारण पटवार मण्डल खातोली का पुनर्गठन करते हुए ग्राम खातोली, गाडोली एवं अल्लापुरा को शामिल किया जाता है।
14. उनियारी एवं नाहरा ग्राम पंचायत खातोली से ग्राम पंचायत पलाई में शामिल होने के कारण पटवार मण्डल पागडा से हटाया जाकर नवसृजित पटवार मण्डल नाहरा का गठन ग्राम नाहरा, उनियारी, श्योपुरा एवं चतरपुरा को शामिल कर किया गया है, उक्त कारण से पटवार मण्डल पलाई का पुनर्गठन किया जाता है।
15. ग्राम गांगली ग्राम पंचायत खातोली से ग्राम पंचायत झुण्डवा में शामिल होने जाने से ग्राम गांगली को पटवार मण्डल झुण्डवा में शामिल किया जाता है।
16. पटवार मण्डल पागडा से ग्राम उनियारी एवं नाहरा कम हो जाने से पटवार मण्डल पागडा में पागडा, पागडी एवं दोबडिया ग्राम को सम्मिलित किया जाता है।
17. ग्राम हनोतिया पटवार मण्डल झुण्डवा से ग्राम पंचायत पायगा में शामिल होने के कारण पटवार मण्डल रसूलपुरा का पुनर्गठन किया जाता है।
18. ग्राम गुमानपुरा ग्राम पंचायत ढिकोलिया से नवसृजित ग्राम पंचायत श्योराजपुरा में शामिल होने के कारण ग्राम गुमानपुरा को पटवार मण्डल श्योराजपुरा में शामिल किया गया है तथा पटवार मण्डल गुमानपुरा को समाप्त किया कर पटवार मण्डल गुमानपुरा के शेष ग्रामों को पटवार मण्डल ढिकोलिया में शामिल किया जाता है।
19. ग्राम डाबला ग्राम पंचायत खेलनिया से ग्राम पंचायत बालीथल में शामिल होने से ग्राम डाबला को पटवार मण्डल बालीथल में शामिल किया जाकर पटवार मण्डल खेलनिया एवं बालीथल का पुनर्गठन किया जाता है।

20. ग्राम रामगंज एवं गुमानगंज ग्राम पंचायत सूंथडा से ग्राम पंचायत श्योराजपुरा में शामिल होने से ग्राम रामगंज एवं गुमानगंज को पटवार मण्डल महाराजकंवरपुरा से हटाया जाकर पटवार मण्डल श्योराजपुरा में शामिल किया गया है तथा ग्राम मण्डालिया को पटवार मण्डल सुंथडा से हटाया जाकर पटवार मण्डल महाराज कंवरपुरा में शामिल किया गया है, उक्त कारण से पटवार मण्डल सूंथडा का पुनर्गठन किया जाता है।
21. अल्लापुरा ग्राम पंचायत श्योराजपुरा का होने से पटाव मण्डल ककोड से पटवार मण्डल नयागांव में तथा ग्राम कालौछोर ग्राम पंचायत श्योराजपुरा का होने से पटवार मण्डल रूपवास से पटवार मण्डल नयागांव में शामिल किया गया है, जिस कारण से पटवार मण्डल रुपवास का पुनर्गठन किया जाता है।
22. ग्राम बृजनगर देवपुरा ग्राम पंचायत ककोड में होने से पटवार मण्डल नयागांव से हटाया जाकर पटवार मण्डल ककोड में शामिल किया गया है, उक्त कारण से पटवार मण्डल ककोड का पुनर्गठन किया जाता है।
23. ग्राम कुण्डिया ग्राम पंचायत खोहल्या से ग्राम पंचायत बालीथल में शामिल होने के कारण ग्राम कुण्डिया को पटवार मण्डल देवरी से पटवार मण्डल बामनिया में शामिल किया जाकर पटवार मण्डल देवरी एवं बामनिया का पुनर्गठन किया जाता है।
24. ग्राम ठिकरिया ग्राम पंचायत सुरेली से ग्राम पंचायत कुण्डेर में शामिल हो जाने से ग्राम ठिकरिया को पटवार मण्डल सुरेली से हटाया जाकर पटवार मण्डल कुण्डेर में शामिल कर पटवार मण्डल सुरेली एवं कुण्डेर का पुनर्गठन किया जाता है।
25. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त झुण्डवा एवं खातोली के 2-2 पटवार मण्डल नवसृजित तहसील अलीगढ़ में जाने से भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त झुण्डवा को समाप्त किया जाकर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त खातोली में पटवार मण्डल झुण्डवा, रसूलपुरा, खातोली एवं पागडा को शामिल किया जाता है।
26. पटवार मण्डल नाहरा नवसृजित होने से भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त उनियारा में पटवार मण्डल उनियारा-प्रथम, उनियारा-द्वितीय, पलाई एवं नाहरा को शामिल किया जाता है।
27. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त ढिकोलिया में पटवार मण्डल ढिकोलिया, खेलनिया, बालीथल एवं बामनिया को शामिल किया जाकर पुनर्गठन किया जाता है।

आज्ञा से,

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (36) राज-1/2023/तहसील/छोटीखाटू **जयपुर, दिनांक : 11.06.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला नागौर की तहसील **डीडवाना** का पुनर्गठन करते हुए नवीन तहसील **अलीगढ़** का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **छोटी खाटू,** जिला नागौर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	खाटू खुर्द	11088.12	30382	खाटू खुर्द	3077.11	11202	02
				शेरानी आबाद	1408.32	8692	01
				मण्डूकरा	2576.91	4583	02
				पावा	4025.78	5905	06
2.	केराप	16645.23	21303	केराप	4580.01	6951	04
				मामडोदा	3094.31	4950	05
				लोरोली कलां	4419.88	4979	05
				बिचावा	2551.03	4423	03
3.	तोषीणा	9016.78	17502	तोषीणा	3499.79	7973	07
				थेबड़ी	2822.34	5134	04
				खरवालिया	2694.65	4395	05
4.	सानिया (नवसृजित)	10295.45	16024	सानिया	3093.27	5741	02
				आगुन्ता	3561.6	4440	03
				पीड़वा	3640.58	5843	04
योग	**04**	**45045.58**	**85211**	**14**	**45045.58**	**85211**	**53**

पुनर्गठित तहसील **डीडवाना** के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	डीडवाना	15826.27	73485	डीडवाना	4847.81	56333	03
				किलवानी	3716.07	5209	06
				सिंघाना	4464.66	5869	07
				दौलतपुरा	2797.73	6074	03
2.	दयालपुरा	15723.64	32170	नावा	4519.36	11849	05
				ललासरी	3465.83	5665	04
				बरड़वा	2308.29	2127	02
				सूपका	5430.16	10529	6
3.	कोलिया	16383.54	24278	कोलिया	4245.67	7883	03
				दादूबासनी	5083.73	9023	06
				पालोट	7054.14	7332	08
4.	खुनखुना	8776.42	20277	खुनखुना	2515.28	8210	03
				खरेश	3910.85	8102	04
				खोजास	2350.29	3965	03
5.	निम्बीकलां	10544.02	26016	निम्बीकलां	2573.65	7856	04
				बरांगना	3098.33	6816	04
				बालिया	4872.04	11344	06
योग	**05**	**67253.89**	**176226**	**17**	**67253.89**	**176226**	**77**

नोट: पटवार मण्डल खोजास को भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त निम्बी कलां से खुनखुना में, पीडवा को तोषीणा से सानिया (नवसृजित) में एवं आगुन्ता व सानिया को खुनखुना से सानिया में सम्मिलित किया जाता है, जिससे भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त सानिया (तहसील छोटी खाटू) का नवसृजन किया जाता है।

आज्ञा से,
ह0/-
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (55) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 12.06.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला कोटा की तहसील **रामगंजमण्डी** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **चेचट** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील चेचट का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **चेचट,** जिला कोटा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	चेचट	7468.73	25005	चेचट	1947.61	11694	01
				खेडली	3033.54	6969	04
				बडौदियाकलां	1522.88	4039	04
				धायपुरा	964.70	2303	04
2.	देवलीकलां	7248.01	11563	देवकीलकलां	1543.62	4300	04
				घाटोली	2166.34	2264	04
				हथौना	1373.13	1158	03
				खेडारुद्धा	2164.92	3441	04
3.	अलोद	8663.14	15744	अलोद	2141.69	3570	05
				सालेडाखुर्द	1845.24	3996	05
				हाथियाखेड़ी	2489.64	3843	07
				मदनपुरा	2186.57	4435	08

4.	मोडक	5551.96	20690	मोडक	111.65	9311	01
				बुद्धखान	1305.48	2862	03
				गून्दी	1556.08	3582	04
				हीरियाखेड़ा	1571.75	4935	04
5.	उदपुरा	15957.98	33897	उदपुरा	258.99	10070	01
				सहरावदा	1021.05	9283	04
				खीमच	897.93	3446	03
				कूकड़ाखुर्द	8863.48	4597	11
				पीपल्दा	4916.53	6501	11
योग	**05**	**44889.82**	**106899**	**21**	**44889.82**	**106899**	**97**

पुनर्गठित तहसील **रामगंजमण्डी,** जिला कोटा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	खैराबाद	8064.79	63091	खैराबाद	2133.50	12003	01
				गोयन्दा	2622.68	5269	05
				रीछडिया	2485.08	4486	07
				गोरधनपुरा	823.53	41333	03
2.	कुदायला	4063.79	35691	कुदायला	1605.75	9912	04
				पीपाखेड़ी	1481.84	3542	03
				सातलखेड़ी	487.16	15636	01
				कुम्मकोट	489.04	6601	01
3.	उण्डवा	7241.87	15889	उण्डवा	1270.45	3533	02
				देवलीखुर्द	1682.98	3931	04
				धरनावद	2346.83	3931	05
				मण्डा	1941.61	4494	06

4.	सुकेत	6684.45	35980	सुकेत	951.78	22328	01
				अरन्याकलां	1996.31	3470	06
				लक्ष्मीपुरा	819.95	4861	04
				सलावदखुर्द	2916.41	5321	11
5.	जुल्मी	5580.08	14932	जुल्मी	2509.81	7258	01
				गादिया	1737.84	3591	05
				लखारिया	1332.43	4083	04
योग	**05**	**31634.98**	**16583**	**19**	**31634.98**	**165583**	**74**

आज्ञा से,
ह0/-
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (50) राज-1/तहसील/चामू **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जोधपुर की तहसील **सेखाला** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **चामू** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील चामू का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **चामू,** जिला जोधपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	चामू	6056.00	8964	चामू	952.56	2732	02
				गोदेलाई	2588.77	3341	04
				प्रहलादपुरा	2514.66	2891	02
2.	डेरिया (नवसृजित)	6591.69	7926	डेरिया	2311.49	2447	03
				मां सतीनगर (नवसृजित)	1943.17	2634	04
				राजसागर (नवसृजित)	2337.03	2845	05
3.	नाथड़ाऊ	8888.12	10746	नाथड़ाऊ	2480.78	4140	06
				गोपालपुरा (नवसृजित)	2999.94	3045	07
				बन्नों का बास	3407.40	3561	08

4.	गिलाकौर (नवसृजित)	8509.39	10387	गिलाकौर	3035.34	3502	05
				सुखमण्डला	3069.33	3597	03
				ठाडिया	2404.72	3288	04
5.	बारनाऊ	6986.70	8411	बारनाऊ	2305.30	3152	03
				पण्डितों का बास (नवसृजित	2151.19	2611	03
				देवानिया	2530.21	2648	04
6.	लोड़ता अचलावतां	9415.03	7314	लोड़ता अचलावतां	3121.02	2206	03
				लोड़ता हरिदासोत	3478.75	2581	03
				रामसर	2815.26	2527	03
7.	देवातू	10494.45	11192	देवातू	5302.93	5938	10
				भालू रतनगढ़	2669.79	2753	06
				रामसिंहनगर (नवसृजित)	2227.73	2501	05
योग	**07**	**56941.37**	**64940**	**21**	**56941.37**	**64940**	**93**

पुनर्गठित तहसील **सेखाला,** जिला जोधपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	सेखाला	7609.50	8724	सेखाला	1915.17	2966	01
				बावड़ी	3864.03	3613	06
				जवाहर नगर	1830.29	2145	03
2.	केतू कलां	7240.15	8683	केतू कलां	2180.81	2961	02
				केतू हेमा (नवसृजित)	2661.37	2416	05
				धीरपुरा	2397.97	3306	03

3.	भालू राजवां (नवसृजित)	7630.31	8836	भालू राजवां	1407.61	2604	06
				केतू मदा	2097.48	3171	06
				गोगादेवगढ़	4125.45	4326	08
4.	देड़ा	10537.76	12011	देड़ा	3167.45	4326	08
				कनोडिया पुरोहितान	4008.99	4802	07
				लवारन	3361.32	2883	07
5.	भालू अनोपगढ़ (नवसृजित)	7670.34	7773	भालू अनोपगढ़	2185.72	2645	06
				भालू लक्ष्मणगढ़	2371.63	2602	04
				डेढ़ा चक 3	3112.98	2526	07
योग	**05**	**40688.05**	**46027**	**15**	**40688.05**	**46027**	**75**

नोटः

- नवीन क्रमोन्नत तहसील चामू में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त चामू, नाथड़ाऊ, बारनाऊ, लोड़ता अछलावतां व देवातू का पुनर्गठन कर 02 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त डेरिया व गिलाकौर का नवसृजन किया जाता है।
- नवीन क्रमोन्नत तहसील चामू में पटवार मण्डल चामू, प्रहलादपुरा, डेरिया, नाथड़ाऊ व बारनाऊ का पुनर्गठन कर 05 पटवार मण्डल मां सतीनगर, राजसागर, गोपालपुरा, पण्डितों का बास व रामसिंह नगर का नवसृजन किया जाता है।
- पुनर्गठित तहसील सेखाला में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त सेखाला, केतू कलां व देड़ा का पुनर्गठन कर 02 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भालू राजवां व भालू अनोपगढ़ का नवसृजन किया जाता है।
- पुनर्गठित तहसील सेखाला में पटवार मण्डल जवाहरनगर व केतू कलां का पुनर्गठन कर 01 पटवार मण्डल केतू हेमा का नवसृजन किया जाता है।

आज्ञा से,

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (54) राज-1/तहसील/पिलानी जयपुर, दिनांक : 11.07.2023

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला झुन्झुनूं की तहसील **सूरजगढ़** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **पिलानी** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील पिलानी का सृजन करती है।

नवीन क्रमोन्नत तहसील **पिलानी,** जिला झुंझुनूं के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	पिलानी	6610.68	53409	मोरवा	1754.02	5070	04
				पिलानी	1942	413396	01
				हमीनपुर	2914.66	6943	05
2.	पीपली	8745.43	20773	डुलानिया	1853.58	5058	02
				पीपली	2632.17	5874	02
				दुदवा	2712.29	6100	03
				भगीना	1547.39	3741	04
3.	खुडानिया	8189.14	24266	खुडानिया	1771.07	4414	03
				झेरली	1846.74	5849	03
				घुमनसर कलां	1891.63	5518	04
				खेड़ला	2686.7	8485	04

4.	बनगोठड़ी कलां	8422.63	19262	बेरी	2504.19	6152	02
				सुजडोला	1502.01	3233	02
				बनगोठड़ी कलां	2597.79	5496	02
				लीखवा	1818.64	4381	01
5.	देवरोड़	4218.43	10864	देवरोड़	2156.44	6138	04
				घण्डावा	2061.99	4726	04
योग	**05**	**36193.31**	**128574**	**17**	**36193.31**	**128574**	**50**

पुनर्गठित तहसील **सूरजगढ़,** जिला झुंझुनूं के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	सूरजगढ़	13020.43	46657	सूरजगढ़	1804.05	19606	01
				काकोड़ा	2509.21	5676	04
				लोटिया	2253.97	5430	05
				बेरला	3090	5984	03
				काजड़ा	1501.62	5735	03
				जीणी	1861.58	4226	04
2.	अगवाना खुर्द	7264.03	18483	धींगड़िया	2134.03	4868	04
				अगवाना खुर्द	1736.46	4234	05
				किढ़वाना	1336.86	4286	02
				बड़सरी का बास	2056.68	5095	05

3.	स्वामीसेही	7311.7	26453	सेहीकलां	1466.37	3901	03
				अडूका	1881.05	9887	04
				स्वामीसेही	2018.09	5016	04
				लाखू	1945.18	7649	05
4.	महपालवास	6460.95	15387	बलौदा	1349.75	4581	01
				उरीका	1470.25	3355	03
				महपालवास	2221.45	5010	02
				कुलोठ कलां	1419.5	3441	01
5.	भावठड़ी	10414.65	23180	भावठड़ी	2332.53	4695	02
				पिलोद	2412.77	5661	02
				फरट	2317	4713	05
				जाखोद	3352.35	8111	08
योग	**05**	**44471.86**	**130160**	**22**	**44471.86**	**130160**	**75**

आज्ञा से,

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (14) राज-1/2023/जालसू/रामपुरा डाबडी/Up-चन्दवाजी
जयपुर, दिनांक : 11.07.2023

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जयपुर की तहसील **आमेर** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **जालसू एवं रामपुरा डाबड़ी** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील **जालसू** एवं **रामपुरा डाबड़ी** तथा नवीन उप-तहसील **चन्दवाजी** का सृजन करती है।

नवीन क्रमोन्नत तहसील **जालसू,** जिला जयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	जालसू	6326.52	28605	जालसू	1606.21	6533	06
				देवगुढ़ा	1377.88	6816	06
				अनोपपुरा	1705.37	7108	07
				सिरसली	1637.06	8148	06
2.	राधाकिशनपुरा (आंशिक)	2435.59	8458	खन्नीपुरा	1494.77	4178	06
				बरना	940.82	4280	03
3.	जयसिंहपुरा (आंशिक)	3690.58	14886	जयसिंहपुरा	1539.96	5213	05
				रायथल	1075.41	5249	02
				दुर्गा का बास	1075.21	4424	05
योग	**1 पूर्ण + 2 आंशिक**	**12452.69**	**51949**	**09**	**12452.69**	**51949**	**46**

उप-तहसील मुण्डोता, तहसील जालसू, जिला जयपुर

1.	रोजदा	6221.11	19780	मुण्डोता	2741.68	7902	02
				रोजदा	1512.46	6779	05
				महेशवास कलां	1966.97	5099	04
2.	राधाकिशनपुरा (आंशिक)	3347.98	111270	राधाकिशनपुरा	1380.75	4851	04
				बिचपड़ी	1967.23	6419	04
3.	जयसिंहपुरा (आंशिक)	1747.07	4365	पुनाना	1747.07	4365	04
योग	**1 पूर्ण + 2 आंशिक**	**11316.16**	**35415**	**06**	**11316.16**	**35415**	**23**
महा-योग जालसू	**04**	**23768.85**	**87364**	**15**	**2376.85**	**87364**	**69**

नवीन क्रमोन्नत तहसील **रामपुरा डाबड़ी,** जिला जयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	जाहोता	4791.71	27448	जाहोता	1385.80	8166	04
				रामपुरा डाबड़ी	1155.74	8736	03
				भट्टा की गली	1163.10	5389	03
				भूरथल	1087.07	5157	02
2.	खोराबीसल	6613.65	32505	खोराबीसल	1227.23	8363	04
				चतरपुरा	1390.48	5310	04
				जयरामपुरा	2370.33	9753	04
				नांगल सिरस	1625.61	9079	03

3.	सेवापुरा (नवसृजित)	5408.52	25672	सेवापुरा	1979.27	9482	08
				खोराश्यामदास	1929.32	8579	06
				नांगल पुरोहित	1499.93	7611	06
4.	हरमाड़ा	3494.44	शहरी क्षेत्र से होने से जनसंख्या उपलब्ध नहीं है	हरमाड़ा	1686.01	शहरी क्षेत्र में होने से जनसंख्या उपलब्ध नहीं है	04
				नींदड़	1808.43		01
योग	**04**	**20308.32**	**85625**	**13**	**20308.32**	**85625**	**52**

नवीन उप-तहसील **चन्दवाजी** (तहसील आमेर), जिला जयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	चन्दवाजी	4879.53	22794	चन्दवाजी	952.58	5090	04
				लखेर	1683.84	6667	03
				कंवरपुरा	1193.18	6093	03
				श्यामपुरा	1049.93	4944	04
2.	मानपुरा माचेड़ी	6525.52	26814	मानपुरा माचेड़ी	2508.97	10435	02
				रूण्डल	1423.08	7057	01
				सिरोही	1655.56	5716	04
				बीलपुर	938.91	3606	03
3.	बिलौंची (आंशिक)	1266.37	4473	चिताणु कलां	1266.37	4473	03
योग	**2 पूर्ण + 1 आंशिक**	**11316.16**	**35415**	**9**	**11316.16**	**51081**	**23**

पुनर्गठित तहसील **आमेर,** जिला जयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	आमेर	8148.79	18322	आमेर-ए	3966.15	शहरी क्षेत्र में होने से जनसंख्या उपलब्ध नहीं है	01
				आमेर-बी	139.35	957	01
				नांगल सुसवातान	694.32	6938	04
				कूकस	3348.97	10427	05
2.	अचरोल	7575.40	32219	अचरोल	3340.60	15077	01
				लबाना	1876.79	8279	04
				ढण्ड	932.02	3744	03
				खोरामीणा	1425.99	5119	04
3.	बिलौंची	7536.80	21533	बिलौंची	2344.84	10719	05
				कांट	2029.06	6854	06
				छापराड़ी	3162.90	3960	04
4.	बगवाड़ा	9131.17	40973	बागवाड़ा	1701.67	9524	02
				दौलतपुरा	2296.46	6034	03
				चौंप	1544.86	11027	03
				अखैपुरा	3588.18	14388	07
योग	**3 पूर्ण + 1 आंशिक**	**11316.16**	**11047**	**15**	**32392.16**	**113047**	**53**

नोटः

- नवीन क्रमोन्नत तहसील जालसू में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त राधाकिशनपुरा का पटवार मण्डल खन्नीपुरा व बरना को शामिल किया जाता है। तहसील जालसू में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त जयसिंहपुरा का पटवार मण्डल जयसिंहपुरा, रायथल व दुर्गा का बास को शामिल किया जाता है।
- पुनर्गठित उप–तहसील मूण्डोता में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त राधाकिशनपुरा का पटवार मण्डल राधाकिशनपुरा व बिचपड़ी को शामिल किया जाता है। उप–तहसील मूण्डोता में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त जयसिंहपुरा व बिचपड़ी को शामिल किया जाता है।
- पुनर्गठित उप–तहसील मूण्डोता के भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त रोजदा को पुनर्गठित कर उसमें पटवार मण्डल रोजदा, महेशवास कलां व मूण्डोता शामिल किये जाते हैं।
- नवीन क्रमोन्नत तहसील रामपुरा डाबरी में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त सेवापुरा को नवसृजित किया जाता है।
- तहसील रामपुरा डाबड़ी में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त खोराबीसल को पुनर्गठित कर पटवार मण्डल खोराबीसल, चतरपुरा, जयरामपुरा में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बिलौंची का पटवार मण्डल चिताणुकलां को शामिल किया जाता है।
- पुनर्गठित तहसील आमेर में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बिलौंची को पुनर्गठित कर पटवार मण्डल बिलौंची, कांट व छापराड़ी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बगवाड़ा को पुनर्गठित कर पटवार मण्डल बगवाड़ा, दौलतपुरा, चौंप व अखैपुरा को शामिल किया जाता है।

आज्ञा से,
ह0/–
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (45) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला श्रीगंगानगर की तहसील **पदमपुर** का पुनर्गठन कर हुए नवीन उप-तहसील **रिड़मलसर** का सृजन करती है तथा तहसील **रायसिंह नगर, पदमपुर** व **श्रीकरणपुर** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **गजसिंहपुर** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील गजसिंहपुर का सृजन करती है।

नवीन क्रमोन्नत तहसील **रिड़मलसर** (तहसील पदमपुर), जिला श्रीगंगानगर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	रिड़मलसर	8864.3794	14044	रिड़मलसर	2315.473	5318	06
				लालेवाला	1660.5144	2544	06
				रतनपुरा	1546.370	2363	05
				78 एलएनपी	1774.823	2169	06
				70 एलएनपी	1567.199	1640	06
2.	फकीरवाली (आंशिक)	4915.681	6948	1 पीएस	2291.421	2906	07
				फकीरवाली	2624.260	4042	07
3.	बींझबायला (आंशिक)	2274.197	3845	58 एलएनपी	2274.197	3845	07
योग	**पूर्ण-1, 2 आंशिक**	**16054.2574**	**24837**	**08**	**16054.2574**	**24837**	**50**

नवीन क्रमोन्नत तहसील **गजसिंहपुर**, जिला श्रीगंगानगर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1.	जोरावरसिंहपुरा (आंशिक)	2189.378	2930	56 एफ	2189.378	2930	05
2.	माणकसर (आंशिक)	4688.833	5100	मोटासर खूनी	2391.981	2550	06
				14 एफएफ	2296.852	2550	07
3.	दूदामौड़	7717.497	20268	बूट्टरसर	2448.782	2906	07
				दूदामौड़	2570.094	13791	08
				राजपुरा-ए	1379.094	1383	08
				राजपुरा-बी	1319.249	2188	04
4.	संगराना	9445.984	11313	कंवरपुरा (4 एफएफबी)	1754.443	1421	05
				27 एफएफ	1299.156	1158	04
				77 आरबी	1608.649	2414	05
				71 आरबी	2953.128	4166	09
5.	थान्देवाला	7319.797	8389	थान्देवाला	1899.294	2532	06
				लुहारा	1930.863	2347	06
				28 एफएफ	1972.088	1617	05
				ख्यालीवाला (6 एफडी)	1517.552	1893	04
योग	**05 3 पूर्ण, 2 आंशिक**	**31361.489**	**48000**	**16**	**31361.489**	**48000**	**91**

पुनर्गठित तहसील **पदमपुर,** जिला श्रीगंगानगर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	पदमपुर	11471.3721	33512	पदमपुर	2412.1261	22289	07
				8 एनएन ए	2536.085	2498	08
				चानणा	2050.276	2304	06
				घुन्द्धवाला	2025.014	2406	07
				7 सीसी	2447.871	4015	07
2	तामकोट	6721.894	14219	तामकोट	1718.916	3445	05
				5 ईई ए	2063.163	4739	05
				जलौकी	1608.256	4333	04
				3 आरबी ए	1331.559	1702	04
3.	बैंरा	8794.656	12145	बैंरा	1898.474	3619	06
				कामसकां	2870.984	2599	06
				डेलवां	2029.105	2486	06
				मक्कासर	1996.093	3441	07
4	रत्तेवाला (आंशिक)	8237.584	15352	रत्तेवाला	1727.103	4548	05
				सांवतसर	1714.925	4574	05
				चिदाबूट्टर	2555.179	3691	07
				पूनावाली	2240.377	2539	06
5	फकीरवाली (आंशिक)	3644.784	3509	36 आरबी ए	1362.768	1495	05
				40 आरबी	2282.016	2014	07
योग	**05 पूर्ण-3, आंशिक-2**	**38870.2901**	**78737**	**19**	**38870.2901**	**78737**	**113**

पुनर्गठित उप-तहसील बींझबायला (तहसील पदमपुर), जिला श्रीगंगानगर

1	बींझबायला	8472.176	14245	बींझबायला	2380-508	6872	08
				जोड़कियां	2039-275	3170	05
				54 एलएनपी	2179-065	2518	07
				जीवनदेसर	1873-328	1685	04
2	घमूडवाली	10405.825	21893	घमूडवाली	1026-936	4580	04
				फरसेवाला	2463-668	3584	07
				नरसिंहपुरा	2557-568	4734	07
				मांझूवास	1413-975	2895	05
				बख्तावरपुरा	2943-991	6100	08
3	रत्तेवाला (आंशिक)	2765.341	2738	11 ईई ए	2765-341	2738	08
योग	**03 2 पूर्ण, 1 आंशिक**	**21643.3420**	**38876**	**10**	**21643.3420**	**38876**	**62**

पुनर्गठित तहसील **करणपुर,** जिला श्रीगंगानगर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	श्रीकरणपुर	7027.233	8952	10 ओ तेजेवाला	2301.910	3595	07
				23 ओ	1647.418	760	03
				15 ओ	1996.448	2772	06
				मौडां	1081.457	1825	03

2	9 एफए	7966.376	9971	9 एफए	1384.567	1693	04
				शेखसरपाल	1638.539	1481	04
				रडेवाला	2567.865	3675	07
				रूपनगर	1157.936	1179	04
				लालबाई	1217.469	1943	04
3	जोरावरसिंहपुर (आंशिक)	5405.142	6648	58 एफ	1340.772	1543	05
				मुकन ए	2105.101	2464	05
				मुकन बी	1241.795	1379	03
				61 एफ	717.474	1262	03
4	माणकसर (आंशिक)	4026.259	6370	माणकसर	1927.900	3216	06
				बड़ोपाल	2098.359	3154	07
5	खरलां	7084.527	11346	खरलां	1755.907	3074	06
				52 जीजी	1884.138	3029	07
				श्री नगर	2776.169	3410	05
				बडिंगा	1168.313	1833	03
6	नग्गी	7379.586	8484	नग्गी	1418.817	2226	03
				बुर्जवाला	1527.173	1439	03
				14 एस	2838.148	3184	06
				42 एच	1595.448	1635	07
7	लखियां (आंशिक)	4453.375	6759	लखियां	2053.975	3364	07
				दलपतसिंहपुर	1195.365	1675	04
				रामगढ़ संगर	1204.035	1720	04
8	अरायण (आंशिक)	2338.106	2870	धरिंगावाली	2338.106	2870	06
योग	**08 4 पूर्ण, 4 आंशिक**	**45680.604**	**61400**	**27**	**45680.604**	**61400**	**132**

पुनर्गठित उप-तहसील केसरीसिंहपुर (तहसील श्रीकरणपुर), जिला श्रीगंगानगर

7	लखियां (आंशिक)	773.441	955	26 एच	773.441	955	03
8	अरायण (आंशिक)	5875.939	11308	अरायण	2105.641	5584	06
				25 एफ	1681.028	2797	05
				कमीनपुरा	2089.270	2927	07
9	धनूर	8869.085	11780	धनूर	2499.993	4340	06
				2 एक्स	2566.950	2408	08
				8 वी	2088.520	2440	08
				7 एस	1713.622	2592	05
10	केसरीसिंहपुर	6095.159	7927	केसरीसिंहपुर	1458.760	938	05
				10 डब्ल्यू	1236.370	1388	04
				2 डब्ल्यू	1330.549	2353	04
				फूसेवाला	2069.480	3248	06
11	मलकाना कलां	7713.997	10171	मलकाना कलां	2748.095	3923	07
				मलकाना खुर्द	1913.090	1894	06
				13 एच	1464.696	2016	04
				मोहलां	1588.116	2338	05
योग	**05 पूर्ण-3, 2 आंशिक**	**29327.621**	**42141**	**16**	**29327.621**	**42141**	**89**
महा-योग	**11 पूर्ण-9, 2 आंशिक**	**75008.225**	**103541**	**43**	**75008.225**	**103541**	**221**

पुनर्गठित तहसील **रायसिंह नगर,** जिला श्रीगंगानगर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	रायसिंह नगर	6633.589	41533	रायसिंह नगर	1247.547	30917	06
				लिखमेवाला	1423.303	2365	04
				22 पीएस	1121.523	3525	03
				66 आर बी	2841.216	4726	09
2	ठण्ड़ी	5281.517	7231	ठण्ड़ी 21/23 एनपी	1467.681	3285	05
				28 एनपी	1796.974	517	05
				नानूवाला 36 एनपी	1036.397	2117	04
				55 एनपी	980.465	1312	04
3	बाजूवाला	7781.321	7956	बाजूवाला 1 एनजैडपीए	2329.658	2022	09
				3 एनजैडपीए	1702.006	2023	07
				7 जेकेएम	1936.899	2102	08
				5 जेकेएम	1812.758	1809	07
4	भोमपुरा	8450.048	4813	भोमपुरा	2512.7	283	05
				71 एनपी	1979.246	1298	03
				ठाकरी	2730.295	1138	06
				42 एन पी	1227.807	2094	05
5	सतजण्डा	7002.422	8617	सतजण्डा	1666.149	2176	07
				35 एनपी	1311.078	1341	05
				यामगढ़ 59 एनपी	1326.441	1701	04
				2 आईडब्ल्यूएम सरदारपुरा बीका	2698.754	3399	08
				फौजूवाला 78 आरबी	881.866	2134	04
6	भादवांवाला	9422.442	8504	भादवांवाला	1475.955	2480	05
				84 आरबी बी	2405.367	3661	07
				लखाटिब्बा	3659.254	259	01
7	बगीचा (आंशिक)	3056.52	3771	बगीचा	1430.852	1710	05
				ततारसर	1625.668	2061	06
8	सांवतसर (आंशिक)	1546.528	1519	30 पीएस ए	1546.528	1519	04
योग	**08**	**49174.387**	**83944**	**28**	**49174.387**	**83944**	**146**

पुनर्गठित उप-तहसील समेजा (तहसील रायसिंह नगर), जिला श्रीगंगानगर

7	बगीचा (आंशिक)	3290.657	5401	62 एनपी	819.828	1602	04
				68 एनपी	2470.829	3799	10
8	सांवतसर (आंशिक)	7456.133	6659	43 पीएस	1184.184	1925	04
				सांवतसर	3223.559	2549	06
9	मोहकमवाला	8146.422	12543	मोहकमवाला	1721.361	2818	09
				6 पीटीडीबी	1516.054	2388	08
				6 एलपीएम	2145.778	3787	11
10	समेजा	6701.108	11764	22 पीटीडी	2793.229	3550	14
				समेजा	2165.659	5296	11
				बरूवाला	1763.742	3312	08
				75 एनपी	1403.353	1832	05
				40 पीस	1368.354	1324	03
योग	**04**	**25624.32**	**36367**	**13**	**25624.32**	**36367**	**99**

पुनर्गठित उप-तहसील मुकलावा (तहसील रायसिंह नगर), जिला श्रीगंगानगर

11	मुकलावा	7514.359	11235	मुकलावा	1856.391	3031	05
				11 टीके	2086.868	3205	05
				जगतसिंहवाला	1417.607	2482	04
				10 टीके	2153.494	2517	05
12	2 एमके	7039.85	9638	33 एमएल	1277.381	1558	04
				उड़सर	3224.509	5008	09
				14 पीएसबी	931.017	885	04
13	कीकरवाली	8702.742	10323	3 एमके	1606.943	2187	05
				कीकरवाली	1912.498	2319	06
				गंगूवाला	1629.553	2467	06
				7 पीएस	2763.183	2732	07
				16 पीएस	2397.508	2805	07

14	डाबला	8416.047	10993	डाबला 5 एनपी	2173.35	3271	05
				2 एलसी	2507.178	2377	05
				6 एलसी	1752.521	1748	07
15	करड़वाली	8455.12	9624	12 एनआरडी	1982.998	3597	07
				करडवाली	2057.71	2670	05
				5 टीके	2606.777	2883	07
				मालसर	1570.568	1472	05
				19 एनपी	2220.065	2599	06
योग	**05**	**40128.118**	**51813**	**20**	**40128.118**	**51813**	**114**
महा–योग	**15**	**114926.825**	**172124**	**61**	**114926.825**	**172124**	**359**

आज्ञा से,

ह0/–

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (41) राज-1/2023 **जयपुर, दिनांक : 07.06.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला डूंगरपुर की तहसील **सागवाड़ा** का पुनर्गठन कर एवं उप-तहसील **ओबरी** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील **ओबरी** तथा उप-तहसील **सरोदा** का सृजन करती है।

नवीन क्रमोन्नत तहसील **ओबरी,** जिला डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	ओबरी	4918	21619	ओबरी	1266	6334	02
				अम्बाडा	602	3391	02
				घाटा का गाँव	990	3607	04
				डैयाणा	1107	3887	04
				पारडा मेहता	953	4400	03
2	वरदा (पुनर्गठित)	3354	15342	वरदा	1066	3394	01
				डेचा	928	4030	01
				बडगामा	938	4819	06
				किशनपुरा	622	3099	05

3	बरबुदनिया (पुनर्गठित)	3785	16646	बदबुदनिया	1082	4853	02
				विराट	975	3867	05
				पीपलागुंज	663	2695	04
				गडावेजणिया (नवसृजित)	554	2563	02
				फावटा	511	2635	02
योग	**03**	**12257**	**53607**	**14**	**12257**	**53607**	**43**

नवीन उप-तहसील **सरोदा**, (तहसील सागवाड़ा), जिला डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	सरोदा (पुनर्गठित)	4956	17066	सरोदा	1340	5755	03
				करीयाणा	1587	4895	05
				पादरड़ी बड़ी	982	3633	02
				वमासा	1047	2783	02
2	सामलिया (नवसृजित)	4211	15833	सामलिया	755	2968	02
				नयागांव (नवसृजित)	805	2523	03
				वरसिंगपुर	1096	4830	05
				गडाझुमजी	1555	5512	05
				बुचिया बड़ा	548	3026	03
3	बुचिया बड़ा (नवसृजित)	2120	9817	घोडापला (नवसृजित)	767	2845	03
				पारडा सरोदा	805	3946	04
योग	**03**	**11287**	**42716**	**11**	**11287**	**42716**	**37**

पुनर्गठित तहसील **सागवाड़ा,** जिला डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	सागवाड़ा (पुनर्गठित)	3897	40429	सागवाड़ा	1431	29476	01
				आरा	966	4403	02
				हडमाला	894	4112	05
				लिमडी	606	2438	02
2	जेठाना (पुनर्गठित)	5481	15211	जेठाना	1336	6022	01
				सेमलिया पण्डया	2810	2860	05
				सुखापादर (नवसृजित)	417	2878	03
				वगैरी	918	3451	07
3	भीलूडा (पुनर्गठित)	4200	19961	भीलूडा	1020	6693	01
				फलातेड़ (नवसृजित)	633	3025	03
				सेलोता	1051	4435	03
				दीपडा बड़ा	1496	5808	03
4	खडगदा (पुनर्गठित)	3585	15233	खडगदा	1163	5335	01
				घोटाद	941	3941	03
				दिवडा छोटा	793	3246	04
				सूरजगांव (न.सृ.)	688	2711	01
5	गोवाडी	3472	14615	गोवाडी	1010	5580	04
				गामडा बामणिया	714	3249	02
				नन्दौड	903	2907	01
				पाडला हांडलिया	845	2879	04
6	ठाकरडा (पुनर्गठित)	2678	12007	ठाकरदा	625	3279	01
				टामटीया	970	3727	02
				काहेला	480	2405	04
				नोखना (नवसृजित)	603	2596	02
योग	**06**	**23313**	**117456**	**24**	**23313**	**117456**	**65**

NOTE :

- नवीन उप-तहसील सरोदा में 02 पटवार मण्डल घोडापला व नयागाँव एवं 02 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त बुचिया बडा व सामलिया नवसृजित किये जाते हैं।
- पूर्व में उप-तहसील ओबरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत गडावेजणिया का एक ग्राम गडावेजणिया उप-तहसील ओबरी में सम्मिलित था और एक ग्राम रंगथोर तहसील सागवाड़ा में सम्मिलित था, जिसके दृष्टिगत नवीन क्रमोन्नत तहसील ओबरी में शालिम गडावेजणिया पटवार मण्डल का नवसृजन किया जाकर उक्त दोनों ग्रामों को पटवार मण्डल गडावेजणिया में सम्मिलित किया जाता है।
- पुनर्गठित तहसील सागवाड़ा में 04 नवीन पटवार मण्डल सुखापादर, फलातेड, नोखना एवं सुरजगाँव का नवसृजन किया जाता है।

आज्ञा से,
ह0/-
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (52) राज-1/2023/तहसील/बसईनवाब **जयपुर, दिनांक : 17.06.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला **धौलपुर** की तहसील **सैपऊ** का पुनर्गठन कर एवं उप-तहसील **बसई नबाव** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील **बसई नवाब** का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **बसई नबाव,** जिला धौलपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	बसई नबाव	4026	28379	बसईनबाव-ए	1045	7399	04
				बसईनवाब-बी	947	8334	06
				पिपहैरा	1098	6324	03
				मालौनी पंवार	936	6322	05
2	बदरिका	3316	16801	बदरिका	768	3831	05
				कुरँघा	1032	4557	04
				भदियाना	1141	4766	02
				मंगलाखरगरपुर	375	3647	02
योग	**02**	**7342**	**45180**	**08**	**7342**	**45180**	**31**

पुनर्गठित तहसील **सैपऊ**, जिला धौलपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	सैपऊ	3640	24256	सैपऊ नं. 1	750	9306	02
				सैपऊ नं. 2	528	2741	02
				मढाकालोनी	1074	5281	05
				नुनहेरा	1288	6928	05
2	कैंथरी	2988	15943	कैंथरी	651	3542	03
				गोगली	891	1781	04
				कूंकरा मांकरा	643	4863	05
				सहरौली	803	5757	04
3	दौनारी	3044	21250	दौनारी	795	5275	02
				पिपरौआ	912	5105	07
				रजौरा कलां	843	5737	04
				रजौरा खुर्द	494	5133	03
4	करीमपुर	2691	19070	करीमपुर	931	6939	06
				कौलुआ	657	4802	02
				पुरैनी	1103	7329	06
				मालोनीखुर्द	1402	8184	06
5	तसीमो	1923	13129	तसीमो	1011	7151	03
				टहरी	1180	7488	05
				गढी चटोला	912	5978	05
6	कौलारी	918	6740	कौलारी	820	5392	03
				चितौरा	998	6267	04
				कनासिल	918	6740	04

7	सखवारा	3440	17045	सखवारा	1238	5014	05
				मानपुर	1007	5979	04
				निधेरा कलां	750	3302	03
				निधेरा खुर्द	445	2750	02
योग	**07**	**23044**	**144764**	**26**	**23044**	**144764**	**106**

आज्ञा से,
ह0/-
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (57) राज-1/2023/तहसील/रुदावल **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला भरतपुर की तहसील **रूपवास** का पुनर्गठन कर एवं उप-तहसील **रूदावल** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील रूदावल का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **रूदावल,** जिला भरतपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	रूदावल (पुनर्गठित)	4017.55	24654	रूदावल	812.89	5471	01
				भाडापुरा	1315.98	6655	04
				खेडाठाकुर	1888.68	12528	05
2	दाहिना गांव (पुनर्गठित)	3221.50	13495	दाहिनागांव	1003.47	2891	02
				मढौली	1091.55	5662	05
				निभेरा	1126.48	4943	04
3	महलपुरचूरा (पुनर्गठित)	4556.37	21666	महलपुरचूरा	1794.34	7064	03
				डुमरिया	2116.45	8567	05
				भवनपुरा	645.58	6035	03
योग	**03**	**11795.42**	**59816**	**09**	**11795.42**	**59816**	**32**

पुनर्गठित तहसील **रूपवास**, जिला भरतपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र. सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	रूपवास (पुनर्गठित)	5922.18	39240	रूपवास	1243.40	17922	04
				औंडेलजाट	999.79	3182	04
				औंडेल गद्दी	850.04	3885	03
				दौरदा	1470.80	6711	03
				जटमासी	1358.15	7540	03
2	नौहरदा (पुनर्गठित)	7900.21	27922	नौहरदा	1670.95	5332	08
				रूंध रूपवास	1115.59	4698	01
				मालौनी	1559.42	3919	06
				ढाना	1848.51	7588	06
				पहाडपुर	2205.74	6575	04
3	खानुआ (पुनर्गठित)	5093.94	24194	खानुआ	1304.90	7615	01
				खिजूरी	796.74	3312	04
				बरिधा	788.14	3453	03
				खुडासा	959.77	2360	03
				सैदपुरा	816.49	4840	04
				महलपुर काछी	427.90	2614	02
4	खान सूरजापुर	4078.07	16261	खान सूरजापुर	1328.49	6526	02
				शक्करपुर	1001.60	3828	04
				सिंधावली	761.57	2030	03
				चैकोरा	986.41	3877	02

5	इब्राहिमपुर	3991.11	17237	इब्राहिमपुर	929.05	3532	02
				कारई	1012.24	3137	02
				नयागांव	826.68	4257	04
				मिलसवां	1223.14	6311	03
योग	**05**	**26985.51**	**124854**	**24**	**26985.51**	**124854**	**81**

आज्ञा से,

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (57) राज-1/2023/तहसील/जुरहरा **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला भरतपुर की तहसील **कामां** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **जुरहरा** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील जुरहरा का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **जुरहरा,** जिला भरतपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	जुरहरा	2341.27	17200	जुरहरा-I	576.89	10473	01
				जुरहरा-II	576.95		01
				जुरहरी	484.44	3430	01
				पाई	702.99	3297	01
2	नौनेरा	2101.84	8655	नौनेरा-I	601.15	4640	01
				नौनेरा-II	539.61	291	02
				सहेड़ा	409.89	1916	02
				नगला भोंगरा	551.19	1808	05

3	सोनोखर	3229.02	19004	ऐन्चवाडा	928.52	3891	07
				सोनोखर	792.12	4346	05
				ऊन्चेडा	725.77	5350	05
				भण्डारा	782.15	5417	03
4	गांवडी	1729.33	11732	गांवडी	334.36	3253	01
				रसूलपुर	448.05	2987	04
				बामनी	366.69	1973	01
				नौगांवा	580.23	3519	01
योग	**04**	**9401**	**56591**	**16**	**9401**	**56591**	**41**

पुनर्गठित तहसील **कामां**, जिला भरतपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	ऊदाका	2234.02	14031	ऊदाका	636.7	5065	03
				अकाता	382.24	3653	01
				सुन्हेरा	638.05	2723	01
				बझेरा	577.03	2590	05
2	कामां	3998.97	43407	कामां-I	739.11	00	01
				कामां-II	846.45	00	01
				कामां-III	1074.20	38039	01
				कनवाडा	1339.21	5368	07
3	मूसेपुर	3402.58	16266	मूसेपुर	546.48	3342	02
				ऊँधन	466.29	1118	02
				गढ़अजान	1110.00	6001	05
				नन्देरा	505.10	1971	02
				गुंडगांव	774.71	3734	03

4	लुहेसर	5311.72	20538	लुहेसर	981.02	4739	04
				बिलग	666.00	4803	01
				करमुका	716.09	3627	04
				अंगरावली	776.92	2685	03
				बोलखेडा	2171.69	4684	03
5	बरौलीघाऊ	4742.86	22007	बरौलीघाऊ	1031.94	3338	02
				औलंदा	1147.00	5567	07
				गढ़ीझीलपट्टी	1139.92	5510	04
				बिलोंद	1424.00	7592	05
6	सतवास	2588.06	15649	सतवास	699.79	3994	03
				बादीपुर	446.62	1617	03
				लेवड़ा	583.88	5522	04
				धिलावटी	857.77	4516	03
7	सबलाना	3709.79	14535	सबलाना	855.2	4221	01
				बिरार	533	2137	03
				छिछरवाड़ी	1200	4625	03
				पल्ला	1101.59	3552	04
योग	**07**	**25988**	**146433**	**30**	**25988**	**146433**	**92**

आज्ञा से,
ह0/-
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (57) राज-1/2023/तहसील/जनूथर **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला भरतपुर की तहसील **डीग** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **जनूथर** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील जनूथर का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **जनूथर,** जिला भरतपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	जनूथर	4649.46	22770	जनूथर	1115.37	6963	01
				दांतलौठी	1021.48	5151	03
				मोरौली	767.28	4088	03
				जाटौली थून	1156.46	4127	02
				मवई	588.87	2441	01
2	शीशवाडा	3264.18	9863	शीशवाड़ा	1110.43	3096	01
				नसवाडा	585.59	977	02
				बडेसरा	513.76	1569	02
				गिरसै	628.26	2153	02
				खोहरी	426.14	2068	01

3	सिनसिनी	5165.33	18787	सिनसिनी-I	1211.51	9251	01
				सिनसिनी-II	1216.66		01
				श्योरावली	1215.46	4837	06
				सोनगांव	1521.70	4699	06
योग	**03**	**13078.97**	**51420**	**14**	**13078.97**	**51420**	**32**

पुनर्गठित तहसील **डीग**, जिला भरतपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	कस्बा डीग	2552.15	45010	कस्बा डीग-I	678.18	45010	01
				कस्बा डीग-II	631.32	00	01
				मालपुर	460.13	00	01
				अचलपुर	782.52	00	03
2	वहज	2981.66	133351	वहज-I	932.55	8258	01
				वहज-II	675.32	380	02
				इकलेहरा	593.84	2808	01
				मालीपुरा	779.95	1905	04
3	बरौली चौथ	2864.57	12216	बरौली चौथ	469.65	4198	02
				खेडा ब्राह्मण	563.56	2275	01
				सामई	1208.84	3797	03
				ऊमरा	622.52	1946	04
4	कासौट	2773.7	13109	कासौट-I	630.28	5013	02
				कासौट-II	604.11		02
				कोरेंर	1084.35	5281	01
				कठैरा चौथ	454.96	2815	02

5	अऊ	3742.3	14998	अऊ	873.89	3546	02
				घरवारी	1348.02	2437	06
				बदनगढ़	738.76	4282	03
6	दिदावली (आंशिक)	1674.48	9492	कुचावटी	781.63	4733	03
				दिदावली	989.09	4625	05
				नगला कोकला	685.39	4868	05
7	निगोही (आंशिक)	3102.8	7413	बरई	1784.67	5311	05
				बन्धा चौथ	628.88	2102	04
8	पान्होरी	2116.41	7018	पान्होरी-I	699.08	5255	01
				पान्होरी-II	667.21	219	02
				नरायना कटता	740.12	1544	02
योग	**08 (2 आंशिक, 6 पूर्ण)**	**21118.82**	**122607**	**27**	**21118.82**	**122607**	**69**

पुनर्गठित उप-तहसील **खोह** (तहसील-डीग), जिला भरतपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	खोह	4936.2	16603	खोह	1425.12	4813	01
				नगला खोह	1127.74	2027	02
				पसोपा	1443.18	4235	02
				चुल्हेरा	940.16	5528	05
2	पास्ता	3416.85	12967	पास्ता	809.60	3400	01
				नरैना चौथ	556.23	2103	03
				धमारी	1083.42	4805	03
				सेऊ	967.60	2659	02

3	दिदावली (आंशिक)	2057.17	9343	परमदरा	1029.98	4171	01
				गुहाना	1027.19	5172	05
4	निगोही (आंशिक)	3102.8	7413	निगोही	1231.66	4125	02
				जटेरी	1871.14	8202	07
5	बेढम	2380.61	9613	बेढम	909.26	4034	02
				ककडा	83.24	2164	02
				हिंगोटा	598.11	3415	03
योग	**05 (2 आंशिक, 3 पूर्ण)**	**15893.63**	**60853**	**15**	**15893.63**	**60853**	**41**

आज्ञा से,

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (45) राज-1/2023/तहसील/मांढण **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला अलवर की तहसील **नीमराना** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **मांढण** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील माढण का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **मांढण,** जिला अलवर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	मांढण	3392.58	16284	मांढण	930.67	3807	01
				हुडियाकलां	687.43	3523	03
				काठूवास	880.05	4888	03
				परतापुर	894.43	4066	04
2	गिगलाना	5207.52	21593	गिगलाना	991.2	5142	01
				महतावास	1429.7	6204	04
				सांतों	1595.36	5561	04
				नानगवास	1191.26	4686	03
3	कान्हावास	4655.54	21538	कान्हावास	966.59	4497	03
				डाबड़वास	1053.97	5529	02
				खून्दरोठ	1702.07	6558	02
				माजरा	932.91	4954	02
योग	**03**	**13255.64**	**59415**	**12**	**13255.64**	**59415**	**32**

पुनर्गठित तहसील **नीमराना**, जिला अलवर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	नीमराना	4797.23	22797	नीमराना	725.08	8217	01
				कोलीलाजोगा	564.67	5816	04
				प्रतापसिंहपुरा	1506.57	493..	04
				बिचपुरी	1010.91	4...	03
2	कायसा	4909.24	17102	कायसा	1403.05	4158	01
				अकलीपुर	602.04	2625	03
				रैवाना	1090.1	4523	02
				डूमरोली	1814.05	5796	02
3	शाहजहाँपुर	5282.95	27504	शाहजहाँपुर	989.01	9837	01
				गूगलकोटा	1315.08	5626	02
				जौनायचा खुर्द	566.08	3192	02
				जौनायचाकलां	1342.68	4168	05
				फौलादपुर	1070.1	4681	03
4	श्रीयानी	5253.05	20359	श्रीयानी	964.59	4562	03
				कुतीना	1684.82	7250	02
				घीलोठ	1956.32	4177	03
				सलारपुर	647.32	4370	02

5	माजरी कलां	4429.49	21559	माजरीकलां	886.96	7350	03
				रोड़वाल	1105.91	5463	05
				दौलतसिंहपुरा	1309.43	4100	04
				दौसोद	1127.19	4646	02
योग	**05**	**24671.96**	**109321**	**21**	**24671.96**	**109321**	**57**

आज्ञा से,
ह0/–
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (45) राज-1/2023/तहसील/प्रतापगढ़ **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला अलवर की तहसील **थानागाजी** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **प्रतापगढ़** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील प्रतापगढ़ का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **प्रतापगढ़,** जिला अलवर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	प्रतापगढ़	6730.82	18868	प्रतापगढ़	1183.93	6226	03
				लालपुरा	1173.44	4523	03
				माधोगढ़	1752.49	3578	04
				झिरी	2617.43	4541	06
2	समरा	8276.32	13160	समरा	2057.19	2754	03
				हमीरपुर	1486.55	2726	02
				कालेड	2691.11	3708	05
				पिपलाई (पुनग्रठित)	2041.47	3972	04

3	आगर	5650.32	14883	आगर	1921.46	5027	04
				पराकछापली	2751.79	7306	06
				भूरियावास	980.60	2550	02
4	अजबगढ़ (नवसृजित)	3683.81	10087	अजबगढ़	1979.22	4418	11
				गुवाड़ाहार	692.26	2445	14
				सीलीबावड़ी	1012.33	3224	03
योग	**04**	**24341.27**	**56998**	**14**	**24341.27**	**56998**	**70**

पुनर्गठित तहसील **थानागाजी**, जिला अलवर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	थानागाजी	6657	27838	थानागाजी	1667.88	13468	01
				नाथूसर	733.14	4740	03
				हरनेर	1334.63	4404	06
				भांगडोली	2922.15	5226	06
2	भूडियावास	6160.17	24084	भूडियावास	1402.75	5587	06
				दुहारचौगान	2994.07	6616	02
				बसईजोगियान	963.36	6993	03
				द्वारापुर	799.99	4888	04
3	सालेटा	6943.28	23296	सालेटा	1600.29	7854	06
				मालूताना	2416.19	7039	03
				गढबसई	1362.28	4440	02
				नांगलबानी	1564.52	3963	02

4	बामनवास चौगान (पुनर्गठित)	5693.77	15751	बामनवास-चौगान	2176.00	5055	05
				अंगारी	1896.50	4833	04
				गुढाचुरानी	1621.27	5863	04
5	किशोरी (पुनर्गठित)	4776.20	12084	क्यारा (पुनर्गठित)	1502.25	3128	03
				किशोरी	1503.08	4897	04
				भीकमपुरा (नवसृजित)	1770.87	4059	05
योग	**05**	**30231.22**	**103053**	**18**	**30231.22**	**103053**	**69**

आज्ञा से,
ह0/-
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (63) राज-1/2023/तहसील/फलासियां **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला उदयपुर की तहसील **झाड़ोल** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **फलासियां** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील फलासियां का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **फलासियां,** जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	फलासियां	12045.27	20858	फलासियां	1029.99	4233	03
				बिछीवाडा	1704.11	4502	04
				पिपलबारा	5345.63	6610	09
				मादला	3965.54	5513	05
2	सोम	7203.78	20606	सोम	2298.91	5200	02
				सडा	1180.02	4610	04
				निचली सिगरी	2103.04	6008	04
				आमलिया	1621.81	4788	04
3	धरावण	22244.16	26263	धरावण	6594.22	7090	06
				डैया	7470.84	9616	11
				अम्बासा	4473.66	4665	02
				गरणवास	3705.44	4892	03

4	कोल्यारी	9088.58	18851	कोल्यारी	2074.88	5078	06
				जेतावाड़ा	1945.38	3829	06
				आमीवाड़ा	2824.12	6373	10
				आमोड़	2244.2	3571	04
5	पानरवा	12843.37	16951	पानरवा	5517.31	4510	07
				आंजरोली खास	2142.04	4488	11
				नेवज	3240.56	4364	07
6	मादड़ी	8185.74	14626	बिरोठी	1943.46	3589	04
				मादड़ी	3619.84	5689	04
				सरादित	2345.21	5446	04
				खरड़िया (नवसृजित)	2220.69	3491	03
योग	**06**	**71610.9**	**118155**	**23**	**71610.9**	**118155**	**122**

पुनर्गठित तहसील **झाड़ोल**, जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	झाड़ोल	8321.17	21799	झाड़ोल	2669.37	7631	05
				गोदाणा	1269.43	4450	08
				बदराणा	2261.97	4364	02
				सु. का खैरवाड़ा	2120.4	5354	05
2	गोराणा	11412.25	19331	गोराणा	2424.33	4526	04
				देवास	4271.46	5858	05
				चन्दवास	2082.7	4122	06
				ब्रा. का खैरवाड़ा	2633.76	4825	09

3	मगवास	11711.4	21844	मगवास	1568.61	3765	04
				खाखड़	1808.89	4085	04
				गोगला	1981.8	3657	04
				ओडा	1247.73	3705	08
				दमाणा (मगवास) (नवसृजित)	2399.15	3754	04
				रोहिमाला (नवसृजित)	2705.22	2878	07
4	माकड़ादेव	19874.17	37247	माकड़ादेव	5784.65	9244	10
				लु. का खेड़ा	2054.43	5076	04
				कन्थारिया	1392.02	4258	03
				बाघपुरा	716.4	3108	02
				गोरण	2139.72	6561	07
5	ओगणा	21040.43	30921	जेकड़ा	7786.95	9000	06
				ओगणा	6726.8	8893	15
				अटाटिया	3888.55	5549	14
				थोबावाड़ा	3644.74	6346	07
				गेजवी	3396.59	4857	10
				काडा	3383.75	5276	08
योग	**05**	**72359.42**	**131142**	**25**	**72359.42**	**131142**	**161**

नोट:

- नवीन क्रमोन्नत तहसील फलासियां में पटवार मण्डल खरड़िया का नवसृजन किया जाता है।
- पुनर्गठित तहसील झाड़ोल में पटवार मण्डल दमाणा (मगवास) एवं रोहीमाला का नवसृजन किया जाता है।

आज्ञा से,

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (63) राज-1/2023/तहसील/घासा **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला उदयपुर की तहसील **मावली** का पुनर्गठन करते हुए नवीन तहसील **घासा,** जिला उदयपुर का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील **घासा,** जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	घासा	5124.5711	19722	घासा	1569.3233	7000	05
				मांगथला	820.3381	5164	03
				धोलीमगरी	742.2017	2765	03
				रख्यावल	1992.708	4793	03
2	खेमली	8531.7424	25287	खेमली	1482.634	7680	05
				सांगवा	1995.2231	6050	03
				नउवा	1970.6399	3392	04
				चंदेसरा	1242.5076	3834	01
				विजनवास	1840.7378	4331	02
3	भीमल (आंशिक)	4002.415	9467	नूरडा	2542.2788	5282	04
				वीरधोलिया	1460.1362	4185	04

4	पलानाकलां	6608.1269	18051	पलानाखुर्द	1437.3006	3914	03
				महुडा	1180.7284	3255	04
				सिन्दू	1370.9433	3549	02
				पलाना कलां	1238.177	3966	02
				वारणी	1430.9776	3367	07
5	थामला (आंशिक)	5900.3499	15085	थामला	1958.037	5594	04
				जावड	1893.169	5016	04
				भानसोल	2054.1439	4475	04
6	नांदवेल (आंशिक)	3101.5772	9501	नांदवेल	488.2234	2295	01
				नाहरमगरा	2640.3538	7206	04
योग	**06 (3 पूर्ण, 3 आंशिक)**	**33350.7825**	**97113**	**21**	**33350.7825**	**97113**	**72**

पुनर्गठित तहसील **मावली**, जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	मावली	6929.4155	23280	मावली	1900.8591	11617	03
				गादोली	1067.9011	3513	04
				गोलवाडा	1851.6503	4281	04
				खेमपुर	2109.005	3869	04
2	फतेहनगर	6646.7438	25610	लदानी	1336.504	3677	04
				चंगेडी	2316.0973	5115	04
				वासनीकला	2384.169	5006	05
				फतेहनगर	609.9735	11812	02

3	सनवाड	7610.0124	23244	सनवाड	2610.8115	11000	01
				जेवाणा	1686.878	3502	01
				खरताना	1789.6563	4690	02
				मोरठ	1522.6666	4052	04
4	ईटाली	8940.5973	18546	ईटाली	2602.8142	5442	02
				ढूढिया	2394.4134	5024	05
				बडगाव	2290.8509	4367	04
				आमली	1652.5188	3713	06
5	साकरोदा	6422.0996	15742	साकरोदा	2027.96	4064	03
				लोपडा	2207.172	6379	05
				फलीचडा	1309.2377	2923	02
				कुंचोली	877.7299	2376	04
6	भीमल (आंशिक)	2463.6934	7287	भीमल	1261.1454	3118	03
				बांसलिया	1202.548	4169	04
7	नांदवेल (आंशिक)	3409.4113	10622	बोयणा	1347.0291	3743	05
				साकरिया खेडी	1199.978	3771	04
				सालेरा कलां	862.4113	3108	01
8	थामला (आंशिक)	1184.947	4870	बडियार	1184.947	4870	06
9	डबोक	5340.5588	26087	डबोक	1448.5408	8557	05
				गुडली	2293.4295	8620	06
				मेडता	720.1675	4182	04
				नामरी	878.421	4728	04
योग	**09 (6 पूर्ण, 2 आंशिक)**	**48947.4791**	**155288**	**30**	**48947.4791**	**155288**	**111**

आज्ञा से
ह0/–
(कालूराम)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (63) राज-1/2023/तहसील/सायरा **जयपुर, दिनांक : 11.07.2023**

अधिसूचना

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15,) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला उदयपुर की तहसील **गोगुन्दा** का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील **सायरा** को तहसील में क्रमोन्नत कर नवीन तहसील सायरा का सृजन करती है।

नवसृजित क्रमोन्नत तहसील **सायरा,** जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	सायरा	6889.35	20922	सायरा	1260.04	4386	03
				बोखाडा	1455.953	5327	01
				सिंघाडा	1400.955	3577	05
				समेड	2772.405	7632	08
2	नान्देशमा	7244.195	16744	नान्देशमा	2363.91	4684	05
				ढुण्डी	1899.78	4474	04
				तरपाल	607.71	2737	03
				पानेर	2372.795	4849	08
3	पुनावली	8488.085	18076	पुनावली	1908.45	4153	07
				ढोल	2185.985	4665	05
				सुआवतो का गुडा	873.41	3574	06
				रायछ	3520.24	5684	07

4	दियाण	8910.2062	18261	दियाण	2197.835	4480	04
				पलासमा	2746.9462	4366	05
				भानपुरा	2053.14	4278	03
				ब्राह्मणों का	1912.285	5137	04
				कलवाना			
5	करदा	3546.215	3917	करदा	3546.215	4917	04
				गुन्दाली	1573.885	3371	02
				तिरोल	1899.025	5512	02
6	पदराडा	7780.975	18252	पदराडा	1770.745	5009	02
				चित्रावास	2540.92	5393	06
				विसमा	1835.355	4295	06
				कमोल	1633.955	3555	03
योग	**06**	**46332**	**106055**	**23**	**46332**	**106055**	**107**

पुनर्गठित तहसील **गोगुन्दा**, जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			पटवार मण्डल का विवरण (सम्मिलित किये जाने वाले)			कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार	
1	गोगुन्दा	10118.46	23359	गोगुन्दा	763.465	8751	01
				दादीया	5586.98	4661	07
				मोडी	2205.713	5480	06
				मजावडी	1562.3	4467	06
2	वास	10154.47	26280	वास	1044.7272	3543	03
				मादडा	1451.8332	4487	07
				समीजा	1794.3336	6080	15
				पडावली कलां	3705.048	7157	15
				पडावली खुर्द	2158.5312	5013	11

3	मजावद	11948.61	20588	मजावद	2100.9	5014	05
				बगडुन्दा	2247.37	4233	03
				छाली	4380.9	6792	08
				विजयाबावड़ी	3219.443	4549	06
4	जसवन्तगढ़	8207.04	20363	जसवन्तगढ़	1987.787	5475	05
				ओबराकलां	1156.495	3598	02
				झाड़ोली	1286.62	3582	09
				रावलिया खुर्द	1741.1	4240	05
				रावलिया कलां	2035.035	3468	04
5	चाटिया खेडी	14307.39	20979	चाटिया खेडी	5058.51	6421	07
				काछबा	1472.995	4935	05
				पाटिया	2419.96	4007	03
				मोरवल	5355.92	5616	06
योग	**05**	**54736**	**111569**	**22**	**54736**	**111569**	**138**

आज्ञा से

ह0/-

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्व समाचार

राजस्थान मिशन 2030 : राजस्व मण्डल की राज्यस्तरीय कार्यशाला

न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निस्तातरण में पीठासीन अधिकारी एवं अभिभाषकगण की भूमिका अहम

– राजेश्वर सिंह

अजमेर। राजस्व मण्डल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में पीठासीन अधिकारी एवं अभिभाषकगण को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। श्री सिंह राजस्व मंडल की ओर से ''राजस्थान मिशन 2030 अभियान'' के तहत महत्वपूर्ण सुझावों एवं चर्चा को लेकर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की राज्य स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निर्बाध एवं त्वरित निस्तारण में पीठासीन अधिकारी एवं अभिभाषकगण की भूमिका अहम है, ऐसे में कानूनी प्रक्रिया का सर्वहित में उपयोग करते हुए समय पर निर्णय पारित किये जाने चाहिए।

श्री सिंह ने कहा कि निर्णय तनकीवार व पूर्ण गुणावगुण आधार पर दिये जाने चाहिये इससे भविष्य में अनावश्यक न्यायिक विवादों की स्थिति नहीं बनेगी। मण्डनल अध्यक्ष ने कहा कि अधीनस्थ विचारण न्यायालयों में जहां पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रकरण स्थानान्तरण का आवेदन प्रस्तुत हो वहां अविलम्ब उच्चाधिकारियों को प्रकरण स्थानान्तरण कि प्रक्रिया अमल में लाई जानी चाहिए ताकि पक्षकारों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम हो सकें।

उन्होंने कहा कि राजस्थान मिशन 2030 के लिए आयोजित इस कार्यशाला में सभी ने अपनी दीर्घ अनुभव के आधार पर उपयोगी सुझाव दिये हैं। न्याय प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए राजस्व मण्डरल के स्तर पर एक कमेटी गठित की जायेगी, जो अपने उपयोगी सुझाव देगी।

मंडल निबन्धक श्री महावीर प्रसाद ने कार्यशाला के दौरान राज्य में प्रचलित राजस्व अधिनियमों/नियमों में सुधार या नवीन प्रावधानों के सम्बन्ध में उपयोगी सुझाव देने पर सभी का आभार जताया।

कार्यशाला में राजस्थान विजन 2030 को लेकर वक्ताओं ने काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियमों में समयानुसार आवश्यक संशोधन किए जाने, हक त्याग, गिफ्ट डीड के प्रकरणों विरासत के नामांतरणों आदि में दुरुपयोग की स्थिति को रोकने, नवीन राजस्व मंडल भवन का निर्माण, राजस्व न्यायालयों में सुधार के लिए नवाचारों को सतत् बनाये रखने, राजस्व मण्डल के मौलिक स्वरूप को यथावत रखे जाने, राजस्व रिकार्ड के जिला स्तर पर अद्यतन किये जाने की बात कही।

इसी के साथ राजस्व न्यायालयों की बेहतरी के लिए रेवेन्यू ज्यूडिशियल सर्विस की स्थापना, कोर्ट्स में मुकदमो के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी कार्ययोजना, लोक अदालतों में अधिवक्ताओं की सकारात्मक भूमिका से अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण की अपेक्षा सहित अन्य उपयोगी सुझाव रखे गए।

आरम्भ में उप निबन्धक श्रीमती सुनीता यादव ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के तहत राज्य में राजस्व इकाइयों के सृजन सहित मण्डल की विविध शाखाओं की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यशाला में सदस्य सर्वश्री गणेश कुमार, श्रवण कुमार बुनकर, अविनाश चौधरी, सुरेंद्र कुमार पुरोहित, सुरेन्द्र माहेश्वरी, भवानी सिंह पालावत, राकेश कुमार शर्मा, भँवर सिंह सांदू, पूर्व सदस्य केके शर्मा, जेपी शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल, ओंकार लाल दवे, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सतबीर सिंह सिद्धू, सोहनपाल सिंह चौधरी, हगामीलाल चौधरी, जयकृष्ण पारीक, मनीष पांड्या, अतिरिक्त निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव, एएलआर रामेश्वर सिंह लखावत, उप निबन्धक श्रीमती संजू मीणा, आरआरटीआई प्राचार्य श्रीमती ऋषिबाला श्रीमाली, तहसीलदार शंकर लाल, पूर्व आरएएस सुरेश सिंधी सहित अन्य विषय विशेषज्ञ व अधिकारीगण उपस्थित थे।

राजस्व मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 141 प्रकरण निस्तारित

अजमेर। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को लेकर राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार राजस्व मंडल के स्तर पर गठित विशेष बेंच के माध्यम से 141 प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका।

मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि लोक अदालत का मण्डल परिसर में आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्व मंडल सदस्य(न्यायिक) गणेश कुमार की अध्यक्षता व पूर्व आरएएस सुरेश सिंधी की मौजूदगी में गठित बेंच ने आपसी समझाइश योग्य चिह्नित 902 प्रकरणों में से 141 का मौके पर ही निस्तारण किया जा सका।

लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया जहां अतिरिक्त निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव, लोक अदालत के लिए मनोनीत सदस्यक श्री सुरेश सिंधी सहित राजस्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, वरिष्ठ अभिभाषक एवम वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। लोक अदालत के सफल आयोजन में राजस्व मंडल के अधिकारियों, अभिभाषकगण व न्याय शाखा के अधिकारी व कार्मिकों का योगदान रहा।

राजस्व मण्डल में सेवानिवृत्ति समारोह

राजस्व मंडल में स्वाधीनता दिवस समारोह

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact us :
Website : http//landrevenue.rajasthan.gov.in/bor
Email : bor-rj@nic.in